कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

आषाढ़–श्रावण 2081, जुलाई 2024

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा

भारत प्रथम

स्वदेशी: कल, आज और कल

सचित्र झलक

Seminars

पंजाब

तेलंगाना

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

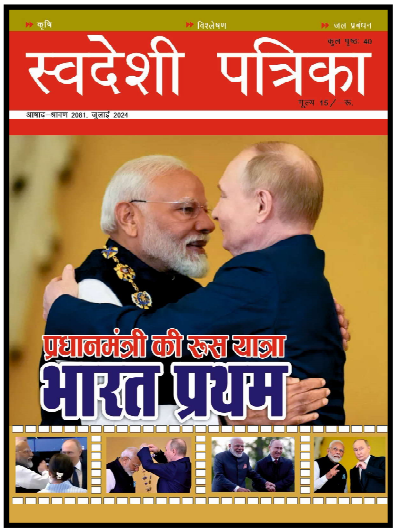

वर्ष–32, अंक–7
आषाढ़–श्रावण 2081 जुलाई 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

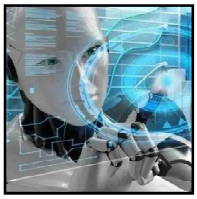
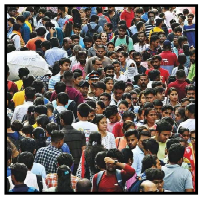

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा – भारत प्रथम

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आर्थिकी
भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी और विदेशी ऋण का बढ़ता दबाव
.....डॉ. धनपतराम अग्रवाल

10 विश्लेषण
नीतियों की निरंतरता से ही लगेंगे अर्थव्यवस्था को पंख
.....अनिल तिवारी

12 मुद्दा
भारतीय लोकतंत्र में विरोध
.....अनिल जवलेकर

14 समीक्षा
निर्यात बढ़ाने से ही बनेगी बात
.....शिवनंदन लाल

16 बजट
पूंजीगत खर्चों में वृद्धि हो, पर मध्य वर्ग को राहत भी
.....प्रहलाद सबनानी

18 कृषि
खेती लाभकारी बनी तो रुकेगा युवाओं का पलायन
.....देविन्दर शर्मा

20 खेतीबारी
कृषि चक्रः उत्पादन, शोध, निवेश और तकनीक
.....विनोद जौहरी

22 जल प्रबंधन
जलवायु प्रवासन और शरणार्थी
.....डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

25 स्वदेशी गतिविधियां
स्वदेशी जागरण मंचः राष्ट्रीय परिषद बैठक
.....स्वदेशी संवाद

25 स्वदेशी संगम
जीवन के सभी पक्षों में हो 'स्व' का भावः डॉ. कृष्ण गोपाल
.....स्वदेशी संवाद

पाठकनामा

प्राकृतिक खेतीः भारत की आवश्यकता

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष एक कृषि एवं उद्यमिता प्रधान देश रहा है, जिसका प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। पुराने ग्रंथों और अन्यत्र छपे लेखों से यह पता चलता है कि कृषि कार्य बिना रसायनों के उपयोग से भी किया जा सकता है, जिसे प्राकृतिक खेती कहते है। इसके बावजूद हमारे देश के किसानों की रसायनों पर निर्भरता इतनी अधिक हो गयी है कि उन्हें रसायनमुक्त खेती करके सफल फसल उत्पादन करना असंभव सा लगता है। जिसके फलस्वरूप आज उर्वरकों का उपयोग इतना अधिक हो गया है कि भूमि में उपस्थित कार्बन स्तर कम होने के साथ–साथ भूमि का स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में भी कमी आयी है।

प्रत्येक वर्ष सरकार को कृषि उर्वरकों को लेकर नुकसान भी सहन करना पड़ता है। चूँकि उर्वरकों का कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है तो सरकार को किसानों के लिए उर्वरकों पर विशेष छूट देनी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में यह राशि 1.64 ट्रिलियन निर्धारित किया गया है। उर्वरकों के अत्याधिक उपयोग से प्रकृति के साथ–साथ मानव जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

रसायनों के अति उपयोग के चलते मिट्टी का कठोर होना, भूमि उर्वरता में कमी, ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन होना, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि समस्याएं पैदा हो रही है।

परिणामस्वरूप, इन सबसे बचने के लिए हमें फिर से अपनी पुरानी प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए, किसानों को प्रशिक्षित करना, गौ–आधारित खेती के लिए प्रेरित करना, इत्यादि की अत्यन्त आवश्यकता है।

किशन, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

मेरा मानना है कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की चुनौती से निपटने के दो तरीके हैं; व्यापक कदम जो सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आ सकते हैं, और छोटे, स्थानीय कदम जो हम नागरिक के रूप में उठा सकते हैं।

द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

मीडिया राष्ट्रों की स्थितियों का मूकदर्शक नहीं है, बल्कि उन्हें बदलने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

भारत एक युवा देश है। हम 21वीं सदी की दुनिया में रहते हैं, जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। इस दुनिया के लिए वैश्विक नागरिक तैयार करना हमारे लिए एक चुनौती पूर्ण काम है। ऐसे में जमीन से जुड़ी और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली को ले आना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

धर्मेन्द्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत

सरकार को पीएलआई योजना जारी रखनी चाहिए, या यूं कहें कि इसका विस्तार करना चाहिए। चीन से बढ़ते आयात ने भारतीय उद्योग पर कहर बरपाया है। इसे केवल निवेश पर जोर देकर ही ठीक किया जा सकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

वसूली बढ़ाने के लिए आईबीसी के अंतर्गत देरी को रोका जाये

दिवाला और दिवालियापन संहिता यानि इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के कानून बनने से पहले, दिवालियापन से निपटने के लिए लगभग एक दर्जन कानून थे और उनमें से कुछ क़ानून 100 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन क़ानूनों के स्थान पर 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' के लिए विधेयक पारित किया, और इसे एक बड़ा आर्थिक सुधार माना गया। आईबीसी के अनुसार, एक बार जब कोई देनदार दिवालिया हो जाता है, तो उसकी संपत्ति को लेनदार आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि लेनदारों की समिति के 75 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य सहमत होते हैं, तो ऐसी कार्रवाई के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि से (एनसीएलटी की मंजूरी के अधीन 90 दिनों की छूट अवधि के साथ) 180 दिनों में कार्रवाई की जा सकती है। यदि तब भी ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो व्यक्ति/फर्म को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। आईबीसी के पीछे यह सोच थी कि नए कानून के लागू होने से ऋण की वसूली में होने वाली देरी और उससे जुड़े नुकसान अपने आप खत्म हो जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और रेटिंग एजेंसियां भी आईबीसी की सराहना करती रही हैं, क्योंकि यह कानून 'कारोबार में आसानी' को बेहतर बना सकता है। उल्लेखनीय है कि आईबीसी को आर्थिक सुधारों में एक बड़ी छलांग के रूप में पेश किया गया था। विश्व बैंक द्वारा 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने से पहले, आईबीसी को भारत की 'कारोबार में आसानी' की रैंकिंग में 2014 में 142वें स्थान से 2019 तक 63वें तक, बहुत कम समय में ऊपर उठने के पीछे एक प्रमुख कारक माना गया। यह उल्लेखनीय है कि व्यापार में आसानी में, व्यवसाय शुरू करने और व्यवसाय को बंद करने में आसानी दोनों शामिल हैं; और आईबीसी ने व्यवसाय को बंद करना आसान बना दिया। जब कोई आर्थिक इकाई दिवालिया हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह अपने कर्ज चुकाने और देनदारियों को चुकाने में असमर्थ है, कानून में स्पष्टता की कमी से स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में, न केवल लेनदारों को भारी नुकसान होता है, बल्कि दिवालिया होने वाली इकाई को भी भारी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। हालांकि, आईबीसी को विफल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इसकी घोषित अपेक्षाओं और जमीनी स्तर पर अनुभव के बीच एक अंतर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के अनुसार, आईबीसी की स्थापना के बाद से जनवरी 2024 तक 7,058 कॉर्पोरेट देनदारों को सीआईआरपी में लाया गया है, जिनमें से 5,057 मामले बंद कर दिए गए हैं और 2,001 कॉर्पोरेट देनदार समाधान के विभिन्न चरणों में हैं। जो मामले बंद हो गए हैं, उनमें से लगभग 16 प्रतिशत में सफल समाधान योजनाएं सामने आईं; 19 प्रतिशत को आईबीसी की धारा 12ए के तहत वापस ले लिया गया है, जहां बड़े पैमाने पर देनदार लेनदारों के साथ पूर्ण या आंशिक निपटान के लिए सहमत हुए; 21 प्रतिशत अपील या समीक्षा पर बंद कर दिए गए; और 44 प्रतिशत मामलों में परिसमापन आदेश पारित किए गए हैं। हालांकि, जब हम उन 2001 मामलों के विस्तार में जाते हैं, जो समाधान के विभिन्न चरणों में हैं, तो हम देखते हैं इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान किसी मामले को स्वीकार करने में लगने वाला औसत समय क्रमशः 468 दिन और 650 दिन रहा, जो क़ानून में अपेक्षित समय से कहीं अधिक है। वित्तीय लेनदारों द्वारा दायर अपीलों के निपटारे में देरी के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक यह है कि अक्सर अदालतें लेन–देन के वाणिज्यिक पहलुओं में उलझ जाती हैं। इतनी लंबी देरी से परिसंपत्तियों के मूल्य में काफी कमी आने की संभावना है, और इसलिए लेनदारों को भारी नुकसान हो सकता है और इस तरह, आईबीसी का मूल उद्देश्य ही विफल हो सकता है। इससे आगे आने वाले संभावित खरीदारों को आकर्षित करना भी मुश्किल हो जाता है। वित्त पर स्थायी समिति (2020– 2021) की एक हालिया रिपोर्ट में दो प्रमुख चरणों की पहचान की गई है, जहां कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में सबसे अधिक देरी होती हैः पहला, सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन की स्वीकृति; और दूसरा, एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी।

सीआईआरपी आरंभ करने के लिए आवेदन स्वीकार करने के संबंध में, कभी–कभी हितधारकों के बीच असहमति के कारण भी देरी होती है। कानून कहता है कि यदि सीओसी के 75 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य सहमत हैं, तो सीओसी समाधान की प्रक्रिया के दौरान कुछ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कई बार, लेनदार और अन्य हितधारक समाधान योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं और इससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों, जैसे लेनदार, देनदार और संभावित खरीदार के बीच विवाद, लंबी अदालती लड़ाई और देरी का कारण बन सकते हैं।

दिवाला और दिवालियापन के मामलों में समाधान खोजने में आने वाली प्रमुख समस्याएँ कर्मचारियों की कमी से लेकर प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित कानून के बोझिल बिंदुओं तक की प्रणालीगत अक्षमताओं से संबंधित हैं, जिनका दुरुपयोग भ्रष्ट और जानबूझकर चूक करने वाले लोग, समाधान में देरी करने के लिए करते हैं। हालाँकि, अब तक सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की वैधता से जुड़े कई बुनियादी सवालों का समाधान कर दिया है, लेकिन वे मुद्दे समय–समय पर सामने आते रहते हैं। जबकि आईबीसी जैसे किसी भी महत्वपूर्ण कानून पर लगातार समझ बनाते हुए उसमें आवश्यक बदलावों की ज़रूरत है, ताकि अदालतों में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा - भारत प्रथम

हाल ही में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में जिस यात्रा ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो उनकी रूस यात्रा थी। भारत और रूस के घनिष्ठ और पुराने रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। एक जमाना था जब अमरीका और यूरोप के देश भारत के शत्रुओं का पक्ष लेते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तत्कालीन सोवियत रूस भारत के मित्र के रूप में अडिग खड़ा दिखाई देता था। सोवियत रूस के विघटन के साथ शीतयुद्ध की समाप्ति और द्विध्रुवीय विश्व के स्थान पर एक ध्रुवीय वैश्विक परिपेक्ष्य में भी रूस एक महाशक्ति के रूप में बना हुआ है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में प्रतिरक्षा का सामान खरीदता रहा है, इसलिए रूस के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते काफी हद तक प्रतिरक्षा के सामान की खरीद तक ही सीमित रहा करते थे।

युक्रेन युद्ध के साथ बदली तस्वीर

यूरोपीय देशों के प्रभाव में आकर जब रूस के पड़ोसी देश युक्रेन ने नाटो के साथ पींगे बढ़ाने शुरू की तो रूस को यह रास नहीं आया और फरवरी 2022 से रूस और युक्रेन के बीच संघर्ष का एक दौर शुरू हो गई। समझ सकते हैं कि ताकतवर रूस के सामने युक्रेन हल्का रहा और इस युद्ध का युक्रेन को भारी नुकसान हुआ। अमरीका और यूरोप के देश सीधे तौर पर युद्ध में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन तमाम प्रकार की सैन्य और अन्य प्रकार की मदद युक्रेन को अवश्य दी गई।

चूंकि अमरीका के रूस के साथ सीधे युद्ध करने के भयावह परिणाम हो सकते थे, इसलिए अमरीका ने रूस पर हमला न करते हुए उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली 'स्विफ्ट' से रूस की बेदखली, रूस से सामान खरीदने वाले देशों के साथ प्रतिकूल व्यवहार, रूस के अमरीका के पास पड़े विदेशी मुद्रा भंडार की जबरन जब्ती समेत कई प्रकार के कदम अमरीका के द्वारा तो उठाए ही गए, साथ ही साथ अमरीकी ब्लॉक में शामिल यूरोपीय देशों में भी रूस के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया।

वास्तव में, यदि पश्चिमी देश वास्तव में युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें इस युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए भारत पर पूरा भरोसा करना चाहिए।
– डॉ. अश्वनी महाजन

भारी मात्रा में रूस से तेल की खरीदी

अमरीकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के चलते रूस जो काफी हद तक पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात पर निर्भर करता था, ने अपने तेल की कीमत काफी कम कर दी ताकि अमरीकी ब्लॉक से बाहर के देशों को उसे खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। ऐसे में भारत ने रूस से तेल की खरीद को काफी अधिक बढ़ा दिया। रूस से तेल की खरीद के कारण भारत को काफी फायदा हुआ। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो यह था कि भारत, जो अपनी पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकताओं के लिए भारी मात्रा में विदेशों पर निर्भर करता है, उसे लगभग 40 प्रतिशत कम कीमत पर रूस तेल मिलना शुरू हो गया था। इसका दूसरा फायदा यह था कि चूंकि रूस स्थानीय कैरेंसियों में व्यापार करने के लिए तैयार था, ऐसे में भारत के साथ उसका रूपए में लेनदेन शुरू हो गया।

यही नहीं युक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के चलते और भारत द्वारा इस दिशा में लक्षित प्रयासों के कारण अब भारत ने दुनिया के लगभग 20 से भी ज्यादा देशों के साथ रूपए में लेनदेन शुरू कर दिया। जाहिर है कि इन सब बदलावों के चलते अब अमरीका और अमरीकी डालर का दबदबा दुनिया में कम होने लगा है। इन सब बदलावों की पृष्ठभूमि में भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों की भी एक महती भूमिका है।

ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूस यात्रा के कारण पश्चिमी विश्व में एक अलग सी हलचल मची हुई है। अमरीका और यूरोपीय देशों को भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों के कारण एक अजीब–सी बेचैनी हो रही है। अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद

वास्तविकता यह है कि भारत रूस को डॉलरों में नहीं बल्कि रूपयों में भुगतान कर रहा है और चूंकि रूस स्विफ्ट से बेदखल है, इन रूपयों को डॉलरों में बदल नहीं सकता।

के मायने यह हैं कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस को युक्रेन युद्ध के लिए वित्त पोषित कर रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रूस क्या भारत के प्रतिरक्षा क्षेत्र में और अधिक महत्वपूर्ण साझेदार बन जाएगा। इन देशों को यह चिंता भी सता रही है कि इससे उनकी आर्थिक और सामरिक ताकत पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इन देशों को समझना होगा कि अब समय बदल गया है। भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से काफी ताकतवर हो गया है। आज प्रतिरक्षा के सामानों के लिए वो काफी हद तक आत्मनिर्भर है और ताकतवर भी। प्रतिरक्षा के कई सामानों जैसे मिसाईल, तोप और राइफलों समेत कई देशों को वह निर्यात भी कर रहा है। ऐसे में भारत स्थापित प्रतिरक्षा सामान बनाने वाले देशों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है। आज भारत अमरीका के आंख दिखाने के बावजूद भी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए रूस से भारी मात्रा में तेल भी खरीद रहा है और रूपयों में भुगतान भी कर रहा है। भुगतानों के डिजिटलीकरण के चलते आज भारत स्वीफ्ट से बेदखली जैसे अमरीकी प्रतिबंधों से भी नहीं डरता।

भारत रूस से अपने कुल प्रतिरक्षा आयातों का अभी भी 45 प्रतिशत आयात करता है। अपने 40 प्रतिशत तेल के आयातों को भारत रूस से मंगाता है। पश्चिमी देशों के इस आरोप का कोई मतलब नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युक्रेन युद्ध के लिए वित्त पोषित कर रहा है। वास्तविकता यह है कि भारत रूस को डॉलरों में नहीं बल्कि रूपयों में भुगतान कर रहा है और चूंकि रूस स्विफ्ट से बेदखल है, इन रूपयों को डॉलरों में बदल नहीं सकता। ऐसे में यह सारा पैसा रूसी तेल कंपनियों के भारतीय खातों में ही पड़ा हुआ है। हां, भारत को इसका लाभ जरूर हो रहा क्योंकि अब रूस इस रूपए के भंडार को भारत में ही निवेश कर रहा है, चाहे वो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो या भारत का शेयर बाजार।

पश्चिमी देशों को यह भी समझना होगा कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी 40 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, और सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है, इसके कारण शेष दुनिया में तेल की मांग कम हो रही है, जिसके चलते यूरोपीय देशों को भी तेल सस्ता मिल रहा है। यानि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का अप्रत्यक्ष लाभ पश्चिमी देशों को भी हो रहा है।

भारत है सही मायने में शांतिदूत

प्रधानमंत्री ने रूसी प्रधानमंत्री पुतिन की मौजूदगी में कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत ने बार–बार कहा है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। जैसा कि हम समझते हैं कि युद्धरत देशों के बीच विश्वास की कमी के कारण, भारत सहित बहुत कम देश रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। वास्तव में, यदि पश्चिमी देश वास्तव में युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें इस युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए भारत पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अब समय आ गया है कि दुनिया अपने संकीर्ण भू–राजनीतिक हितों से ऊपर उठे और इस युद्ध का समाधान खोजने के लिए भारत को मनाने के लिए आगे आए।❑❑

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी और विदेशी ऋण का बढ़ता दबाव

भारत@2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक शक्ति बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2023–24 के वित्तीय वर्ष में हमारी आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है और वर्तमान समय में यह सारे विश्व की लगभग अधिकतम मानी जा सकती है। आर्थिक वृद्धि, विनियोग और पूँजी के कुशल उपयोग पर आधारित होती है। इस समय हमारा पूँजी विनियोग (आईसीओआर – वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपाल) की उत्पादकता लगभग 4 (चार) है और 8 प्रतिशत की वृद्धि दर के लिये हमें इन दोनों के गुणनफल अर्थात् 32 प्रतिशत के पूँजी विनियोग की आवश्यकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि नई डिजिटल तकनीकों तथा कानूनी सुधारों से हमारी वर्तमान आईसीओआर में सुधार हुआ है और यह घटकर 3.5 हो गई है और इस कारण से कम विनियोग से ज़्यादा उत्पादकता लाई जा सकती है।

विनियोग और बचत का आपसी संबंध है। बचत अगर विनियोग से ज़्यादा हो तो साधारणतः यह माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि दर एक ऐसे मुक़ाम पर पहुँच गई है कि पूँजी की उत्पादकता में कमी आ गई है और विनियोग के लिये कहीं दूसरे देश में जाना होगा। ऐसे देश आज के दिन यूरोप, जापान आदि हैं, जो विकसित हो चुके हैं। कहीं–कहीं ऐसा भी होता है कि राजनीतिक अथवा सामाजिक कारणों से विनियोग लाभदायक नहीं है, जैसा कि एक लंबे समय तक चीन में होता था। फिर 1978 के आर्थिक सुधारों से उनके नागरिक, जो बाहर दूसरे देशों में चले गये थे, उन्होंने अपने देश में विनियोग आरंभ किया। हमारे देश के भीतर भी ऐसी स्थिति कुछ राज्यों की है और उदाहरण के लिये बंगाल में संचय या बचत वहाँ के विनियोग से ज़्यादा है और जब वातावरण अनुकूल होगा, वहाँ भी चीन की भाँति पूँजी का पलायन रुक सकता है और विनियोग बढ़ सकता है।

विकसित भारत का स्वरूप स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ही होना चाहिये। विदेशी पूँजी और विदेशी तकनीक का उतना ही व्यवहार होना चाहिये जिससे हमारी जीवन शैली उपभोक्तावादी न होकर संयमी और त्यागमय बने।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

अतः इस विनियोग के लिये हमें देशी बचत (डोमेस्टिक सेविंग) और विदेशी बचत (फोरिन सेविंग या केपिटल) की आवश्यकता होती है। देशी पूँजी घरेलू व्यक्तिगत बचत और कंपनियों की बचत (हाउसहोल्ड सेविंग या कॉरपोरेट सेविंग) पर आधारित है। अभी पिछले कई वर्षों से उपभोक्तावाद के बढ़ने से तथा अन्य कुछ कारणों से हमारी घरेलू बचत में काफ़ी कमी आयी है। भारत सरकार द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में यह कमी लगभग 9 लाख करोड़ रुपये पाई गई है और यह घटकर 2023 के अंत में सिर्फ़ 14.6 लाख करोड़ रुपये रह गई है। आँकड़े बताते हैं कि घरेलू बचत में गिरावट के कारण यह हमारी राष्ट्रीय आय के 2021 के 22.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में सिर्फ़ 18.4 प्रतिशत रह गई है। यह चिंतन का विषय है, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री इसे आधुनिक अर्थनीति में उपभोग–आधारित विकास को अच्छा मानते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमें उपभोग आधारित विकास चाहिये अथवा विनियोग आधारित विकास? यहीं से यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हम विदेशों में बने पदार्थों का उपभोग बढ़ाएं और इससे हमारी बचत में आयी कमी की भरपायी विदेशी पूँजी द्वारा पूरी करें?

हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या हमें स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी पूँजी पर आधारित विकास करना है या विदेशी पूँजी द्वारा, जिसके मुख्य रूप से तीन स्रोत

होते हैं– विदेशी ऋण, विदेशी निवेश (एफडीआई), जो व्यापार या उद्योग में विनियोग होता है और एफपीआई, जो शेयर बाज़ार में विनियोग होता है। वर्तमान समय में इन तीनों स्रोतों की कुल विदेशी पूँजी के तथ्यों के आधार पर एक मोटे तौर पर पाया गया है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों एवं नई आर्थिक नीतियों के लागू करने के बाद अभी पिछले 33 वर्षों में प्रायः 2 ट्रिलियन अमेरिकी डालर हमारे देश में आये हैं, जिसका इन तीनों मदों में ब्यौरेवार विश्लेषण संक्षेप में हम करेंगे। अभी सिर्फ़ इतना जानना आवश्यक है कि विदेशी पूँजी के आयात के तीन मुख्य कारण होते हैं– पहला कारण है बचत और विनियोग की असमानता (सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप), दूसरा कारण है आयात–निर्यात का घाटा (ट्रेड गैप और करंट एकाउंट डेफिसिट–सीएडी) और तीसरा कारण है तकनीकी आवश्यकता (टैक्नॉलोजी गैप) और इस प्रकार मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत में सामंजस्य की आवश्यकता है जिससे हमारी संप्रभुता से कोई समझौता न करना पड़े।

अगर हम विदेशी पूँजी के तीनों स्रोतों के दिसंबर 2023 तक की कुल राशि को देखते हैं तो निम्न दृश्य सामने आता है। (स्रोतः आरबीआई बुलेटिन मार्च 2024)

- विदेशी ऋण (दिंसबर 2023) – 648.5 बिलियन अमरीकी डालर
- विदेशी विनियोजन (वर्ष 2000 से 2023 तक) – 990 बिलियन अमरीकी डालर।
- विदेशी निवेश पूँजी अथवा शेयर बाज़ार (अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक) – 678 बिलियन अमरीकी डालर।

यानि भारत में विदेशी पूँजी का बोझ 2316.5 बिलियन अमरीकी डालर, अर्थात् 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर

है। जिस रफ़्तार से विदेशी पूँजी निवेश हो रहा है और ऐसी स्थिति में जबकि हमारे उपरोक्त तीनों मापदंडों में हमें नकारात्मक असमानता दिख रही है तो ऐसा स्पष्ट रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर एक गहरा ख़तरा है।

भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिये और एक दूरदर्शी दिशा निर्देश तैयार करना चाहिये। सिर्फ़ आर्थिक उन्नति के आँकड़ों से अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है। वैसे भी महंगाई, बेकारी और ग़रीबी की समस्या बड़ी विकट है। हमारे छोटे घरेलू उद्योग वैश्वीकरण की चपेट से ध्वस्त हो रहे हैं। उद्यमिता हमारे खून में है किंतु वर्तमान तकनीक और नवाचार के युग में हमें अनुसंधान तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना होगा। कृषि और लघु उद्योगों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना होगा। तभी हम समृद्ध और वैभवशाली भारत का निर्माण कर सकेंगे। स्वदेशी को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग तथा इसके लिये स्थानीय उद्यमियों को वित्त, आधुनिक तकनीक तथा उनके उत्पाद के विपणन की पूर्ण, सरल तथा लचीली व्यवस्था का निर्माण करना होगा। उनके सहयोग के लिये अच्छी कामगार टीम का स्थानीय स्तर पर गठन करना होगा, जो उन्हें समय–समय पर मदद कर सके तथा सरकारी एजेंसियों से उनका सही तालमेल बैठा सके। स्वदेशी का आधार ही स्वावलंबन का पथ है।

विकसित भारत का स्वरूप स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ही होना चाहिये। विदेशी पूँजी और विदेशी तकनीक का उतना ही व्यवहार होना चाहिये जिससे हमारी जीवन शैली उपभोक्तावादी न होकर संयमी और त्यागमय बने। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए समाज में समरसता बनाये रखकर ग्रामोन्नयन का ख्याल रखते हुए विश्व बंधुत्व के आधार पर एकात्म मानव दर्शन की दिशा में हम आगे बढ़ें ताकि अन्य विकासशील देश भी हमारे मार्ग दर्शन पर भरोसा कर सकें। बाज़ारवादी अर्थतंत्र से सारी दुनिया को मुक्त करना है और इसके लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में फँसने से बचना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम भारतीय मेधा और प्रवासी भारतीयों की पूँजी और उनकी बौद्धिक क्षमता का कुशलतापूर्वक लाभ लेते हुए विज्ञान और तकनीक का विकास करें। भारत@2047 हमारी खोई हुई गरिमा को वापस लाये और हम पूरे विश्व में अपनी पताका को फैलाते हुए वसुधैव कुटुम्बकम की स्थापना कर सकें। धर्म के साथ अर्थ का अर्जन करते हुए निःश्रेयस अभ्युदय के हम अनुगामी बनें।❑❑

नीतियों की निरंतरता से ही लगेंगे अर्थव्यवस्था को पंख

23 जुलाई 2024 को संसद में आम बजट पेश होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट से आम और खास सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहले बजट पेश करेंगी। हाल के बरसों में जिस तरह सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मझौले उद्योगों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में सरकार रोजगार मुहैया करने की दृष्टि से छोटे और मझोली उद्योगों के लिए कुछ बड़ी सौगातो का ऐलान कर सकती है।

दरअसल भारत में सकल घरेलू विकास दर में एमएसएमई का करीब 30 प्रतिशत योगदान है। भारी संख्या में शुरू हुए स्टार्टअप्स भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में वर्ष 2024–25 के पूर्ण बजट में इस सेक्टर पर खास फोकस रहने की बात की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में यह सेक्टर काफी मदद कर सकते हैं। इस बीच चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने सरकार के समक्ष अपनी दस सूत्री मांगों से संबंधित एक पत्र भेजकर इनकम टैक्स का नाम बदलने से लेकर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को राहत देने समेत अपनी प्रमुख मांगे गिनाई है। इंडस्ट्री ने सस्ती ब्याज दर पर लोन मुहैया कराने,जीएसटी की नई एमनेस्टी स्कीम का लाभ हानि उन व्यापारियों को भी दिए जाने जो पहले से ही टैक्स ब्याज और पेनाल्टी जमा कर चुके हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट देने, जीएसटी की तरह इनकम टैक्स में भी हाइब्रिड सिस्टम होने, जरूरत की चीजों पर जीएसटी की दर तर्कसंगत बनाने तथा व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड गठन करने की मांग की है।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार का यह लगातार 11वां बजट होगा, लेकिन इस बार सरकार के सामने अलग तरह की चुनौती है। पहली बात यह कि इस बार इन 11 सालों में पहली बार भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार में नहीं है। दूसरी बात यह कि इस बार सहयोगी दलों का सरकार पर अलग तरह का दबाव है। तीसरी

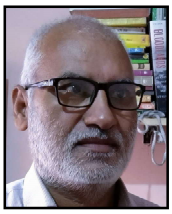

केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद अपने पहले 100 दिन के लक्ष्यों को सामने रखकर मिशन मोड में काम कर रही है तथा यह भी बताया है कि सरकार अपनी विकास की नीतियों को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

–अनिल तिवारी

बात यह कि जल्द ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू–कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार पर दबाव लोकलुभावन बजट पेश करने का भी है। सबसे बड़ी चुनौती यह कि सीमित विकल्प के बीच सरकार किस तबके पर फोकस करे। बजट से पहले ग्रामीण से लेकर शहरी तबकों ने अपनी इच्छा सूची दे दी है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाला बजट न सिर्फ सरकार का वित्तीय लेखा– जोखा होगा, बल्कि आगे की राजनीतिक दिशा का ब्लू प्रिंट भी उससे मिलेगा।

इसीलिए, बजट पर इस बार सबसे अधिक नजर मिडल क्लास की लगी है। वह बजट में अपने लिए राहत का पिटारा देखना चाहता है। खासकर टैक्स के मोर्चे पर सरकार के सामने रियायत देने का दबाव बहुत बढ़ गया है। 2024 आम चुनाव में भले भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन चुनाव बाद आए आंकड़ों ने साबित किया कि मिडल क्लास भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। अब अगर चुनाव बाद सोशल मीडिया पर मिडल क्लास लोगों के बहस–मुबाहिसे देखें तो उनका तर्क है कि पिछले कुछ सालों से भाजपा ने उनका जितना सहयोग लिया, उस मुकाबले उतनी राहत नहीं दी, जितनी की अपेक्षा थी। इसका अंदाजा सरकार को भी है। लगातार बढ़ते कर संग्रह की चर्चा भी मिडल क्लास को नागवार गुजरी। यही वजह है कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों को नियमित रूप से सार्वजनिक करने से अब मोदी सरकार परहेज करने लगी है। साथ ही, संघ ने भी भाजपा को फीडबैक दिया कि टैक्स के मोर्चे पर वह मिडल क्लास को राहत दे, नहीं तो अब उसके सब्र का पैमाना टूट सकता है।

दरअसल, मिडल क्लास तबका नैरेटिव को बनाने में अहम भूमिका निभाता है, उसी तरह बिगाड़ने में भी। सरकार को इसका अंदाजा है। लेकिन चिंता का बस यही एक कारण नहीं है। आम चुनाव में इस बार बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में झटका लगा। कहा गया कि महंगाई, किसानों की दिक्कतों आदि के कारण लोगों में खामोश नाराजगी थी। चुनौती युवाओं के लिए रोजगार की भी है। विपक्ष ने हाल में रोजगार को सफलतापूर्वक बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि अलग–अलग आंकड़ों के आधार पर रोजगार के मोर्चे पर सरकार अपनी विफलता को खारिज करती रही है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता है कि रोजगार के क्षेत्र में उसे तत्काल बड़े कदम उठाने ही होंगे। चुनाव के बाद आए आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि 18 से 25 साल के युवाओं के बीच बीजेपी का दबदबा कम हुआ है। संख्या और प्रभाव के लिहाज से सबसे बड़ा तबका यही है और 2014 से नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली बीजेपी की लगातार मजबूती के पीछे इसी तबके के समर्थन का बड़ा योगदान था। ऐसे में केंद्र सरकार को इस बार बजट में इन सभी को यह संदेश देने की चुनौती है कि वह उनके हित और अपेक्षाओं के साथ खड़ी है। भले यह एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का पहला ही बजट हो, लेकिन ऐसे संजीदा समय में बीजेपी कहीं भी अपनी राजनीतिक पकड़ को और कमजोर नहीं होने देगी, जिससे उसकी दिक्कतें बढ़ें।

अगर केंद्र सरकार बजट में सभी वर्गों को साधने के लिए लोक–लुभावन बजट पेश करती है तो उसके सामने बड़ा सवाल आएगा कि रिफॉर्म का क्या होगा? जानकारों के अनुसार देश की इकॉनमी अभी रिकवरी स्टेज में है, ऐसे में बड़े लोक–लुभावन बजट की चुनौतियों को झेलना आसान नहीं होगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी शुरू से लोक–लुभावन बजट की परिकल्पना के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने पूर्व में रेवड़ी संस्कृति पर भी सवाल उठाया था। लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में और अब महाराष्ट्र में लोक–लुभावनी आर्थिक मदद वाली योजनाओं का एलान हुआ, उससे संकेत गया कि राजनीतिक मजबूरी के सामने भाजपा अब समझौता कर सकती है।

वैश्विक हालात से लेकर कई मोर्चों पर पहले से ही अनिश्चितता है। सरकार इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसके अलावा उद्योग जगत की भी अपनी आकांक्षाएं है। ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी कि वहां कोई प्रतिकूल संदेश जाए और बाजार को रेड सिग्नल मिले।

बहरहाल लगातार कमजोर हो रहे डॉलर और विश्व बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल स्थिति बनती हुई दिख रही है। लगातार बढ़ते प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, राजकोषीय घाटे पर काबू, चालू खाता घाटा और रुपए की बढ़ती स्वीकार्यता जैसे मानकों पर भारत इस समय सच्चे अर्थों में "आर्थिक अमृत काल" का आनंद ले रहा है। ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता क्रय शक्ति बढ़ी है, शेयर बाजार में सेंसेक्स 81 हजार के पार पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी कई विश्वसनीय संस्थाओं ने आने वाले वर्षों में भारत की विकास दर को लगातार बढ़ते हुए रेखांकित किया है। सरकार बुनियादी ढांचा पर विशेष जोर देने की अपनी पूर्व की नीति पर अब तक अटल दिखाई दे रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद अपने पहले 100 दिन के लक्ष्यों को सामने रखकर मिशन मोड में काम कर रही है तथा यह भी बताया है कि सरकार अपनी विकास की नीतियों को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जल मार्ग आदि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने से निजी पूंजी व्यय में भारी वृद्धि की उम्मीद है। ❑❑

भारतीय लोकतंत्र में विरोध

भारतीय लोकतंत्र का एक चुनावी महोत्सव समाप्त हो गया है और नई सरकार भी बन गई है। जनता ने तो अपना 'मत' व्यक्त किया है लेकिन उसके अर्थ विद्वान लगा रहे है और आगे भी लगाते रहेंगे। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यह बात स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। वैसे जो भी प्रतिनिधि जिस भी चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए है आगे भी उसी से बंधे रहेंगे, यह कह नहीं सकते। इसलिए सरकार अस्थिर करने की कोशिशें जैसे होंगी वैसे ही उसे स्थिर रखने के भी प्रयास होते रहेंगे, और शायद यही राजनीति देश के हित में नहीं होगी। सरकार पाँच वर्ष चले और देश हित में काम करती रहे, यही देश के हित में है। निश्चित ही जो सरकार में नहीं है या विरोध में है उन्होंने भी देश हित हो ध्यान में रखकर बात की तो भारत सभी दृष्टि से विकास की ओर बढ़ता रहेगा, इसमें शंका नहीं है।

लोकतंत्र में विरोध का स्थान

लोकतंत्र की पहचान ही सभी से विचार विमर्श कर निर्णय लेने की प्रक्रिया से होती है। 'सबका साथ सबका विश्वास' भाजपा का भी नीति वाक्य रहा है। विरोध में होते हुए भी भाजपा देशहित ध्यान में रखकर ही सरकार और उनकी नीतियों का समर्थन या विरोध करती थी। आज के विरोधी दलों का भी यही कर्तव्य बनता है। लेकिन लगता है अब यह बात पुरानी हो चुकी है। नई लोकसभा का जिस तरह संसद अधिवेशन चला, उससे यह संशय उत्पन्न होता है। सरकार की नीतियों और सरकार के चाल–चलन का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और विरोधी दल का यही काम है कि जनहित विरोधी नीतियों का तथा उसकी अमल में हो रही त्रुटि या भ्रष्टाचार का विरोध करें। लेकिन अकारण और तमाशाई विरोध लोकतंत्र को कमजोर करता है, यह भी ध्यान रखना होगा।

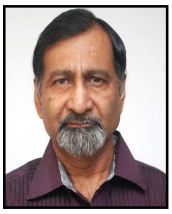

आजकल सभी राजनीतिक दल सरकारी पैसा मुफ्त बाटने में लगे हुए है, जो आज नहीं तो कल देश पर भरी पड़ेगा। इसलिये विरोधी दल का यह कर्तव्य बनता है कि वे सभी नीतियों के आधार ढूंढे और देशहित में नीतियों की चर्चा करें।

–अनिल जवलेकर

बाहरी ताकतों का अजंडा चलाना गलत

नई लोकसभा में विरोधी दल चुनावी राजनीति संसद में लेकर आ रहे दिखते है जो कि चिंता का विषय है। बाहरी देश, जो देशविरोधी नेरेटिव तथा तत्सम कहानी चलाते है उसी

कहानी को यहाँ के विरोधी दल के नेता अगर अपना एजेंडा बना लेते है तो वह देश हित में नहीं होगा। आज के विरोधी दल ऐसा एजेंडा सामने रख रहे है और उससे खुश होते दिख रहे है यह बात दुर्भाग्य पूर्ण है। वैसे यह बात नई नहीं है कि बाहरी देश भारत को छिन्न–भिन्न और बिखरी हुई अवस्था में देखना चाहते है। यहां की कौमी एकता को छिन्न–भिन्न लगाना चाहते है और भारत को एक कंगाल और भीखमंगा देश बनाना चाहते है। उसके लिए जो भी बन पड़ता है वे करते आए है और करेंगे भी। यह भी सही है कि कोई भी देश दूसरे देश को समर्थ नहीं होने देना चाहता। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा रहता आया है और आगे भी रहेगा। यहाँ के राजनेता इससे अनभिज्ञ है ऐसा नहीं है। फिर भी अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु विरोधी दल ऐसा करते है तो देश के भविष्य के लिए खतरनाक होगा।

विरोधी दल विचारधारा स्पष्ट करें तो अच्छा

सरकार का विरोध यानी उसकी नीतियों का विरोध होना चाहिए। लेकिन आजकल विरोधी दल देश का ही विरोध करते नजर आ रहे है जो चिंता का विषय है। भाजपा कई दशकों तक सरकार से कोसों दूर थी लेकिन उसकी एक निश्चित विचारधारा थी और उसके आधार पर सरकार की नीतियों का विरोध होता था। उनकी विचार धारा भी किसी बाहरी सामर्थ्य से या विचारधारा से प्रभावित नहीं थी, यह बात भी स्पष्ट है। उनकी विचारधारा से उभरकर उनकी नीतियाँ भी स्पष्ट थी और उनका विरोध भी स्पष्ट था। आज के विरोधी दल किसी भी नीतियों के प्रति स्पष्ट नहीं दिखते। इसलिए उनका विरोध भी चुनावी राजनीति का हिस्सा लगता है। उनके घोषणा पत्र भी उनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं करते, न ही उसके पीछे कोई मूल्याधारित विचारधारा है। सिर्फ 'खटा–खट' और 'फटा–फट' कहने से कोई समस्या स्पष्ट नहीं होती, न ही उसका कोई समाधान सामने आता है। इससे कोई विचारधारा भी स्पष्ट नहीं होती है और न नीति स्पष्ट होती है। विरोधी दल को चाहिए कि भारतीय समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण रखे और स्पष्ट विचारधारा से उभरी नीतियाँ स्पष्ट करें। उसी के आधार पर सरकारी नीतियों का विरोध करें तो देश को लाभ होगा।

आज के विरोधी दल किसी भी नीतियों के प्रति स्पष्ट नहीं दिखते। इसलिए उनका विरोध भी चुनावी राजनीति का हिस्सा लगता है। उनके घोषणा पत्र भी उनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं करते, न ही उसके पीछे कोई मूल्याधारित विचारधारा है। सिर्फ 'खटा–खट' और 'फटा–फट' कहने से कोई समस्या स्पष्ट नहीं होती, न ही उसका कोई समाधान सामने आता है। इससे कोई विचारधारा भी स्पष्ट नहीं होती है और न नीति स्पष्ट होती है।

संसद में नीतियों पर बहस हो

भारत की संसद में नीतियों पर सैद्धांतिक बहस कम ही होती है। इसका एक कारण यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक दलों की सामाजिक विषयों पर भूमिका एक जैसी है। आर्थिक नीतियों में जरूर थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन भाजपा ने भी सत्ता में आने के बाद आर्थिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया है। हालांकि दुनिया भर में साम्यवादी विचारधारा पराभूत होने के बाद जो उदारीकरण अपनाया गया। लेकिन वह भी सारी समस्याओं का समाधान नहीं दे सका। आज सारी दुनिया असमंजस में है। भारतीय दर्शन में दिया हुआ और स्वदेशी जागरण मंच जिसका पुरस्कार करता आया है, उस 'तीसरे रास्ते' पर चर्चा होना जरूरी है। सरकार की विकास में भूमिका और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप की मर्यादा भी समझनी जरूरी हो गई है। आजकल सभी राजनीतिक दल सरकारी पैसा मुफ्त बाटने में लगे हुए है, जो आज नहीं तो कल देश पर भरी पड़ेगा। इसलिये विरोधी दल का यह कर्तव्य बनता है कि वे सभी नीतियों के आधार ढूंढे और देशहित में नीतियों की चर्चा करें। नीतियों के पीछे की विचारधारा जितनी स्पष्ट होगी, नीति उतनी स्पष्ट होगी, यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

रचनात्मक सहयोग देश हित में

आज भारत दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में गिना जाने लगा है। एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और दूर–दूर के रहवासी व्यापार हेतु यहाँ आते थे। कुछ यहाँ की संपत्ति लूटने के बहाने भी आए। कुछ तो यही बस गए तो कुछ लूटकर चले गए। बीच के कई सौ वर्षों तक भारत में लूटपाट होती रही और इसी लूट की वजह से भारत ने अपनी यह पहचान भी गवाई, फिर भी भारत समृद्ध रहा और आज फिर अपनी वहीं पहचान बना रहा है। ऐसे समय में यहाँ की सरकार स्थिर रहे और भारत के विकास और समृद्धि के लिए काम करें यह जरूरी है। विरोधी दलों को भी यह बात ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ❑❑

निर्यात बढ़ाने से ही बनेगी बात

वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विशेष किस्म की अनिश्चिता और अपेक्षा के विपरीत ठहराव के बावजूद भारत में बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति और मध्यम वर्ग के विस्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजे की मजबूती मिल रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग गठबंधन सरकार वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लक्ष्य को सामने रखकर धीरे–धीरे आगे बढ़ रही है। हाल ही में नई दिल्ली में बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों का संगठन (बिम्सटेक) की गतिविधियों को गति के साथ बढ़ाने के लिए भारत ने मजबूत पहल शुरू की है।

भारत सरकार का मानना है कि भारत के लिए बिम्सटेक के देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने की पहल 'पड़ोसी प्रथम' एक्ट ईस्ट तथा सागर नीति का ही हिस्सा है। भारत का सदैव से मानना रहा है कि पड़ोसी देशों को साथ लेकर की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां अगर ठीक रास्ते पर चल रही हैं तो उसके दूरगामी असर दूर के देशों पर भी सकारात्मक पड़ता है। पूर्व में भी सरकार की यह नीति हर दृष्टिकोण से मुफीद साबित हुई है।

इस क्रम में भारत ने रूस सहित मित्र देशों और विभिन्न विकसित देशों के साथ द्विपक्षी वार्ताओं से कारोबार बढ़ाने की नई कवायद भी प्रारंभ की है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस और आस्ट्रिया के दौरे के दौरान द्विपक्षीय वार्ताओं से विदेश व्यापार की नई संभावनाएं तलाशने तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता के बाद जारी हुए संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और रूस में द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 100 अरब डालर तक बढ़ाने, व्यापार में संतुलन लाने, गैर शुल्क व्यापार बाधाओ को दूर करने और यूरेशियन आर्थिक संघ तथा भारत के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावनाओं को तलाशने का काम प्राथमिकता के आधार

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से यह स्पष्ट होता है कि अगर सरकार आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति बनाती है तो निश्चित रूप से देश को आर्थिक रूप से एक और नई ऊंचाई प्राप्त होगी।

–शिवनंदन लाल

पर ऊपर रखा गया है। दोनों देशों ने राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल कर एक द्विपक्षीय निपटान प्रणाली स्थापित करने और पारस्परिक निपटान प्रक्रिया में डिजिटल वित्तीय उपकरणों को लाने की योजना बनाने की भी बात कही है।

वही ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए संबंधों को रणनीतिक दिशा दी जाएगी। बुनियादी ढांचा विकास, इनोवेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच लगभग तीन अरब रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ऑस्ट्रिया के लिए भारत यूरोपीय संघ के बाहर इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है।

बताते चलें कि 'पड़ोसी प्रथम' नीति को सर आंखों पर बिठाते हुए केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों को बुलाया था। सरकार की मजबूत पहल का नतीजा ही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद तीस्ता नदी के जल प्रबंधन समुद्री अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेक्टर सहित 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरह श्रीलंका के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कोलंबो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और भारत की ओर से दिए गए 60 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान से निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन भी किया। वर्ष 2022 में जब श्रीलंका अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब भारत ने 3.30 अरब डॉलर की मदद देकर श्रीलंका को फौरी तौर पर आर्थिक संकट से उबरा था। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाल के जी–7 के शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश भारत की अहमियत दिखाई दी। भारत के लिए सबसे ठोस लाभ यह रहा कि जी–7 के देशों में यह सहमति बनी कि प्रतिबद्धता के साथ भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को बढ़ावा दिया जाएगा। इस गलियारे के निर्माण की घोषणा पिछले वर्ष भारत में जी–20 शिखर बैठक के समय की गई थी।

हालांकि भारत में असमानता और व्यापार घाटे संबंधी चुनौतियां अब भी बरकरार हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की बेहतर आर्थिक की गतिविधियों को प्रमुखता से दर्ज करते हुए वर्ष 2024–25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को पहले से बढ़ाते हुए 6.8 से 7 प्रतिशत तक का कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दर्ज की गई अनुमानित वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के प्रति आश्वस्त करता है। बीते अप्रैल महीने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास की दर को 6. 8 प्रतिशत तक रहने की बात कही थी लेकिन अब उसका दावा है कि अगले वर्ष यानी 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। निश्चित रूप से यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उत्साहजनक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी पिछले महीने कहा था कि भारत संरचनात्मक बदलाव से गुजरते हुए आठ प्रतिशत की वृद्धि दर की ओर बढ़ रहा है।

दरअसल भारत में खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लगातार बढ़ते निजी उपभोग को अर्थव्यवस्था की गति के लिए सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी पुष्टि केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम मंत्रालय के हालिया सर्वेक्षण से भी होती है।सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण परिवारों की खपत में वृद्धि हुई है यानी 2011–12 में गांव में जो प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 1430 रुपए था वह वर्ष 2022–23 में करीब 3773 रुपए हो गया है।

एक ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023 के 3. 3 प्रतिशत की तुलना में 0.1 प्रतिशत सुस्त रहने की बात की जा रही हो तब भारत का 2025 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था बने रहना एक सकारात्मक संकेत है। भारत की मजबूत आर्थिक नीतियों और सुधारों की दिशा में की गई पहल के कारण यह गुलाबी तस्वीर उभरी है। वित्तीय, बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों के अलावा उद्यमिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन से देश के विकास की नींव मजबूत हो रही है।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से यह स्पष्ट होता है कि अगर सरकार आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति बनाती है तो निश्चित रूप से देश को आर्थिक रूप से एक और नई ऊंचाई प्राप्त होगी। भारत को ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजरायल, गल्फ देशों और यूरोपीय संघ के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देने की कार्य नीति पर आगे बढ़ना चाहिए। जी–20 शिखर बैठक के दौरान जिन 55 देश वाले अफ्रीकी संगठन को भारत में जी–20 की स्थाई सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन देशों में भी भारत को अपने निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस पहल की शुरुआत करनी चाहिए। सरकार व्यापार घाटा कम करने को लेकर सकारात्मक पहल कर रही है। ऐसे में अगर विभिन्न देशों में निर्यात की मात्रा बढ़ती है तो इसका फायदा सीधे–सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को होगा। ❑❑

पूंजीगत खर्चों में वृद्धि हो, पर मध्य वर्ग को राहत भी

23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया जाने वाला है। हाल ही में लोकसभा के लिए चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं एवं भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंप दी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। अब केंद्र सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण शीघ्र ही केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं।

पिछले लगातार दो वर्षों के बजट में पूंजीगत खर्चों की ओर इस सरकार का विशेष ध्यान रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस राशि में 33 प्रतिशत की राशि की भारी भरकम वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 11 प्रतिशत ही अधिक है। इस राशि को यदि 33 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो इसे कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर 12.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया जाना चाहिए।

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए पूंजीगत खर्चों में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है और फिर भारत ने तो वित्तीय वर्ष 2023–24 में 8 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर की रफ्तार को पकड़ा ही है। आर्थिक विकास की इस वृद्धि दर को बनाए रखने एवं इसे और अधिक आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करना ही चाहिए। आर्थिक विकास दर में तेजी के चलते देश में रोजगार के नए अवसर भी अधिक मात्रा

वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि मध्यवर्गीय परिवार गरीब परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में सदैव आगे रहा है।

– प्रहलाद सबनानी

में विकसित होते हैं। जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को बहुत अधिक आवश्यकता भी है। भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान विकास की दर को तेज करने के चलते ही लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर उठ पाए हैं एवं करोड़ों नागरिक मध्यवर्ग की श्रेणी में शामिल हुए हैं। अब भारत में गरीबी की दर 8.5 प्रतिशत रह गई है जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में 21.1 प्रतिशत थी। गरीबी की रेखा से बाहर आए इन नागरिकों एवं मध्यवर्गीय नागरिकों ने देश में उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, कर संग्रहण में भी इस वर्ग ने महती भूमिका अदा की है। आज प्रत्यक्ष कर संग्रहण लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर भी अब औसतन लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक की राशि के संग्रहण के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया है तो सरकारी क्षेत्र के बैकों/उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित कर केंद्र सरकार को भारी भरकम राशि का लाभांश उपलब्ध कराया है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व तक केंद्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटे की आपूर्ति हेतु इन बैकों को बजट में से भारी भरकम राशि उपलब्ध करानी होती थी। कुल मिलाकर इस आमूल चूल परिवर्तन से केंद्र सरकार के बजटीय घाटे में भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। केंद्र सरकार का बजटीय घाटा कोविड महामारी के दौरान 8 प्रतिशत से अधिक हो गया था जो अब वित्तीय वर्ष 2024–25 में घटकर 5.1 प्रतिशत तक नीचे आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार, अब यह सिद्ध हो रहा है कि केंद्र सरकार ने न केवल अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने में सफलता अर्जित की है बल्कि अपने खर्चों को भी नियंत्रित करने में सफलता पाई है।

अब यह सिद्ध हो रहा है कि केंद्र सरकार ने न केवल अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने में सफलता अर्जित की है बल्कि अपने खर्चों को भी नियंत्रित करने में सफलता पाई है।

पूंजीगत खर्चों में वृद्धि के साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में मध्यवर्गीय नागरिकों को आय कर की राशि में छूट देने का प्रयास भी वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में किया जाना चाहिए। क्योंकि, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में हो रही भारी भरकम 25 प्रतिशत की वृद्धि इसी वर्ग के प्रयासों के चलते सम्भव हो पा रही है। वैसे, भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार भी नागरिकों/करदाताओं पर करों का बोझ केवल उतना ही होना चाहिए जितना एक मधुमक्खी किसी फूल से शहद लेती है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में अधिक राशि पहुंचने का सीधा सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को ही होता है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में यदि खर्च करने के लिए अधिक राशि पहुंचती है तो वह विभिन्न उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है इससे इन उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होती है और इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर अर्थव्यवस्था में निर्मित होते हैं एवं कम्पनियों द्वारा विनिर्माण इकाईयों का विस्तार किया जाता है तथा निजी क्षेत्र में भी पूंजीगत निवेश बढ़ता है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के चक्र को बढ़ावा मिलता है जो अंततः देश के कर संग्रहण में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। मध्यवर्गीय परिवार के आय कर में कमी करने से बहुत संभव है कि भारत में औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले। क्योंकि कई देशों में यह सिद्ध हो चुका है कि कर की राशि को कम रखने से औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है इससे कर की दर को कम करने के उपरांत भी कर संग्रहण में वृद्धि होते हुए देखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अभी भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था के करीब करीब बराबरी पर ही चलती हुए दिखाई देती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यवहारों के भारी मात्रा में डिजिटलीकरण करने के उपरांत भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में बहुत मदद मिली है और इसी के चलते ही वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रतिमाह के स्तर पर पहुंच सका है। अतः कुल मिलाकर देश में मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या जितनी तेज गति से आगे बढ़ेगी देश का आर्थिक विकास भी उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।

दरअसल, देश में कर संग्रहण में आकर्षक वृद्धि के बाद ही गरीब वर्ग की सहायता के लिए भी विभिन्न योजनाएं सफलता पूर्वक चलाई जा सकेंगी। अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि मध्यवर्गीय परिवार गरीब परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में सदैव आगे रहा है। ❑❑

(प्रहलाद सबनानीः सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.)

खेती लाभकारी बनी तो रुकेगा युवाओं का पलायन

पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण मज़दूरी स्थिर है या घटती रही है, और खेती घाटे का सौदा बनी हुई है। ऐसे में चुनावी नतीजों में किसानों का मोहभंग निश्चित रूप से झलकता है। सत्तासीन दल को न केवल किसानों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता बल्कि उनके विरोध–प्रदर्शनों के समक्ष मनमानी और पुलिस दमन का भी परिणाम भुगतना पड़ा। बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसानों के प्रभाव वाले कम से कम 38 संसदीय सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की दिक्कतों को स्वीकार किया, जब उन्होंने परिणाम के बाद भाजपा मुख्यालय में विजय भाषण में कहा : 'हम बीजों की खरीद के स्तर से लेकर बाज़ारों में बिक्री के स्तर तक कृषि को आधुनिक बनाने के कार्य को प्राथमिकता देते रहेंगे। दालों से लेकर खाद्य तेलों तक, हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम करेंगे।' लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मुझे लगता है कि पहले यह समझना ज़रूरी है कि कृषि संकट नाकाफी आधुनिकीकरण के कारण है या इसलिए है कि कृषि को जान–बूझकर दरिद्र रखा गया है। हम किसानों को गारंटीशुदा कीमत न देने के सवाल पर आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकते, ताकि पहले आजीविका के गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके।

इसे समझाने के लिए हरियाणा का उदाहरण दिया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा ने कृषि उत्पादन के मामले में प्रभावशाली प्रदर्शन करने के लिए निश्चित रूप से लंबी छलांग लगाई है। न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने के कारण बल्कि इसने विभिन्न कृषि जिंसों में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। कई साल तक हरियाणा केंद्रीय भंडार में सरप्लस गेहूं और चावल का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करने वाला राज्य रहा है। अब भी, सेंट्रल पूल में अतिरिक्त फूड स्टॉक आपूर्ति में इसका हिस्सा 16 फीसदी है।

कई विशेषज्ञ कहेंगे कि इसका समाधान फसल विविधीकरण में है। परंतु जो बात बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दी जाती है वो यह कि विविधीकरण के लिए पहली जरूरत है यह यकीनी बनाना कि मुहैया कराये जा रहे विकल्पों से होने वाली शुद्ध प्राप्ति किसानों को गेहूं और धान फसल चक्र से होने वाली कमाई से कम न हो। हालांकि किसानों को गेहूं और धान पर एमएसपी मिलता है, लेकिन यह अपेक्षित लागत और लाभप्रदता के अनुरूप नहीं होता है। किसी भी हालत में पहला कदम तो स्वामीनाथन कमीशन के फॉमूले के अनुसार कीमत गारंटी यकीनी बनाना होना चाहिये।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए खेती को लाभदायक व आर्थिक तौर पर व्यवहार्य बनाना जरूरी है।

– देविन्दर शर्मा

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सघन खेती की पद्धतियों के चलते कृषि कार्यों में स्थिरता का संकट है, लेकिन दशकों से कृषि आय में उतरोतर तीव्र गिरावट ने खेती को अलाभकारी बना दिया है। यह बात बड़े ही आराम से छुपा दी जाती है। हाल ही के वर्षों में हरियाणा के युवाओं में पैदा हुई प्रवास की ललक ग्रामीण परिवेश में छाये संकट का सबूत है। किसी भी गांव में चले जाइये, आपको किस्से सुनने को मिलेंगे कि विदेश के सपनों को पूरा करने के लिए जमीन बेची जा रही है। खेती से ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, और शहरों में जॉब के अवसर सीमित होने के चलते किसानों के पास जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेजने के अलावा विकल्प कम ही बचता है। यहां तक कि बच्चों को विदेश भेजने का क्रेज अनुसूचित जाति के परिवारों में भी बढ़ रहा है, जिनमें से कई ने तो बच्चों को बाहर

भेजने के लिए भारी–भरकम कर्ज भी लिया है। कैथल जिले के धेरडू गांव के 70 वर्षीय किसान मीडिया को गर्व से बताते हैं, 'हमारे गांव से ज्यादातर लड़के जा चुके हैं। यहां पीछे केवल उनके अभिभावक ही रहते हैं। हमारे गांव में कुल 1100 वोट हैं। और यदि सभी लोग वोट डालें तो भी 800 से अधिक नहीं बनेंगी। बाकी तो बाहर चले गये हैं।'

जगह–जगह लगे दिखाई दे रहे आइल्ट्स कोर्सेज के साइन–बोर्ड, और युवाओं को झटपट वीसा व रोजगार दिलाने को लेकर लुभाते बिलबोर्ड्स एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। विदेश में रोजगार की ललक यहां तक है कि हरियाणा से बड़ी तादाद में उम्मीदवार युद्ध ग्रस्त इस्राइल में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए पहुंचे, बावजूद इस जानकारी के कि वहां उनकी जान का खतरा है। यहां तक कि जान जोखिम में डालने वाली नौकरियों के लिए भी बेताबी साफ नजर आती है। निश्चित तौर पर कोई असहमत हो सकता है परंतु यह परेशान करने वाला प्रवासन का रुझान पलट सकता था यदि कृषि आर्थिक तौर पर व्यवहार्य और लाभकारी उद्यम के रूप में उभर जाती। दरअसल, हर कोई कृषि में स्थिरता और आर्थिक जीवनी–शक्ति के संकट से बाहर निकलने के समाधान के तौर पर फसल विविधीकरण की बात करता है, लेकिन यह किसानों के लिए कारगर नहीं हो रहा है। भिवानी जिले के तोशाम निवासी एक टमाटर उत्पादक हैं रमेश पंघाल। वे करीब 42 एकड़ में टमाटर की खेती करते हैं जिसमें से अधिकांश जमीन ठेके पर ली गयी है। उनके द्वारा प्रदर्शित उद्यमिता के तरीके के चलते वे हरियाणा के टमाटर किंग के तौर पर विख्यात हैं।

कुछ ही दिन पहले, उन्होंने नई दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में टमाटर की 351 पेटियां बेचीं जिनमें प्रत्येक में 26 किलो टमाटर थे। कुल मिलाकर, उन्होंने उस दिन 9,126 किलो टमाटर बेचे। उन्हें मिलने वाले कुल मूल्य में से टमाटर तोड़ने, परिवहन और मंडी के खर्चों को घटाने के बाद उन्हें केवल 1. 48 रुपये प्रति किलो का शुद्ध लाभ हुआ।

ऐसे वक्त जब एक उपभोक्ता टमाटर की प्रति किलेग्राम करीब 40 रुपये कीमत औसतन अदा करता है, रमेश का गुस्सा फूटता है। वे मुझसे पूछते हैं, 'बताइये, कैसे आप एक किसान से गुजारा करने की उम्मीद करेंगे', आगे कहते हैं : 'विविधीकरण के बारे में बात करने का फैशन हो गया है। सरकारी अधिकारी किसानों को विविधता के लिए गेहूं–धान के टमाटर समेत दूसरे विकल्प अपनाने को प्रेरित करते हैं। परंतु यदि टमाटर की खेती करने से मुझे यही शुद्ध आय प्राप्त होती है, और ऐसा भी नहीं हो कि दूसरी फसलें इतनी आमदन नहीं देती हों तो किसानों को विविधीकरण किसलिए करना चाहिये?'

टमाटर ही अकेली ऐसी फसल नहीं है जो किसान लागत पूरी करने में असमर्थ हैं। परंतु अन्य विभिन्न उदाहरणों पर नजर डालने से पूर्व, मैं आपको इस बारे में एक उदाहरण दे दूं कि खेती कितनी गैर–फायदेमंद हो चुकी है। हिसार स्थित सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. विनय मेहला का अध्ययन इस बारे में आंखें खोलने वाला है। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि कृषि लगातार एक पतली डोर से अनिश्चित रूप से लटकी हुई है। यह सर्वविदित था कि कृषि आय पिरामिड के निचले स्तर पर है, लेकिन यह अध्ययन चौंकाने वाला है। इसके अनुसार, छोटे किसानों पर हर साल औसतन 1. 31 लाख रुपये का कर्ज होता है।

निःसंदेह, किसानों के कल्याण को उस तरह का ध्यान और प्राथमिकता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। यदि कृषि एक घाटे वाली गतिविधि है, जैसा कि अध्ययन बताता है, तो नई योजनाओं की घोषणा करना या परिष्कृत तकनीक पेश करना व्यर्थ है, जो खेती को आर्थिक व्यवहार्यता के गहरे संकट से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सरकार का जोर तुरंत कृषि आय बढ़ाने के तरीके और साधन खोजने पर केंद्रित होना चाहिए। कृषि आय में गिरावट इसलिए नहीं है कि किसान मेहनती और उद्यमशील नहीं हैं; ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जब किसान खेती कर रहे होते हैं तो उन्हें इस काम में हो रहे घाटे का अहसास नहीं होता है।

इसलिए एनडीए की नयी गठबंधन सरकार को खेती–किसानी के मोर्चे पर जारी गड़बड़ी पर नये सिरे से विचार करना चाहिये। अब 75 से भी अधिक वर्षों में विभिन्न उपायों से कृषि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन कृषि संकट गहराता जा रहा है। साल 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए खेती को लाभदायक व आर्थिक तौर पर व्यवहार्य बनाना जरूरी है। ❑❑

(लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।)

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/if-farming-becomes-profitable-then-migration-of-youth-will-stop/

कृषि चक्रः उत्पादन, शोध, निवेश और तकनीक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि सुधारों पर बहुत गंभीर प्रयास किये गये। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास भी किये। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, अपने उत्पादन के पर्याप्त मूल्य प्राप्त करने, मंडी समितियों के शोषण रोकने के उद्देश्य से तीन कृषि सुधार कानून कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020; कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020; और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 संसद में प्रस्तावित हुए परंतु उनको निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों किसानों ने पिछले नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया और तीनों कृषि सुधार कानून राजनीति की भेंट चढ़ गये। किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधारनी है, कृषि उपज भी बढ़ानी है, फसल की अच्छी कीमत भी किसान को मिलनी चाहिए परंतु कृषि व्यवस्था में सुधार नहीं चाहिए – यह कैसी विडम्बना है !! माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में एक उच्च अधिकृत समिति भी गठित की परंतु क्या समाधान निकला, किसी को नहीं पता।

भारत में कुल अनाज उत्पादन (2022–23) 3300 लाख टन है जिसका अमेरिकी डॉलर में मूल्य 515 बिलियन डालर है और जो पिछले वर्ष की तुलना में 140 लाख टन अधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 18–19 प्रतिशत है। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे देश में 25 करोड़ किसान हैं और 14 करोड़ लोग कृषि रोजगार में लगे हैं। इसलिए देश की समृद्धि और भविष्य के लिए किसान ही सबसे महत्वपूर्ण है और विकास का मेरुदंड है।

सरकार के स्तर पर कृषि को लेकर बहुत सी योजनाएं और किसानों के लिए जनकल्याणकारी कार्यक्रम हैं परंतु जब इसको लेकर राजनीति होती है तो केवल विषय केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही रहता है और आंदोलन भी इसी तक सीमित रहते हैं।

समय की आवश्यकता है कि किसानों के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो सरकार को उपभोक्ता लाभ के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है, को समयानुकूल संशोधित किया जाए।

– विनोद जौहरी

भारतीय संविधान के सातवें शैडयूल में कृषि राज्य के अधिकार का विषय है। इसलिए राज्य सरकारें कृषि पर जो भी सुधार करना चाहती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा लाये गये उनका भी कार्यान्वयन राज्य सरकारों को ही करना है इसलिए किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनों और योजनाओं का विरोध किसानों के अहित में है।

राजनीति से अलग कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लेख भी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं जिनका आधार शोध होता है और कृषि सुधार के व्यवसथात्मक पक्ष होते हैं। यह लेख कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के सुझावों, संकेतों और प्रस्तावों पर आधारित है।

वैज्ञानिक की दृष्टि से कृषि के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन, उपज में वृद्धि, सिंचाई के लिए जल की कमी, भू–संरक्षण मुख्य हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कृषि उपज में प्रतिवर्ष 6–8 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है जो वर्तमान में लगभग 4 प्रतिशत ही है। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्नोलॉजी की प्राथमिकता है।

सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी काउंसिल के स्वरूप पर एक राष्ट्रीय कृषि

विकास समिति का गठन होना चाहिए जिसमें नीति आयोग, कृषि वैज्ञानिक, उद्योग, विद्वान, शोधकर्ता, राजनीतिक दल, अर्थशास्त्री सम्मिलित हों। इस प्रकार गठित संस्थान कृषि और किसान के हित में दीर्घकालिक निर्णय ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में निजी निवेश, कृषि पर शोध और शोध के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत आवंटन तो आवश्यक है जो अभी मात्र 0.6 प्रतिशत है। बीजों की उच्च गुणवत्ता विकसित करना, कृषि के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में फसल की किस्मों पर शोध भी अगले तीन चार वर्षों में हो जाये तो फसल चक्र पर भी स्थानीय स्तर दीर्घकालिक नीति बनायी जा सकती है जिससे कम या लाभ न देने वाली फसलों पर समय और धन की बचत हो और किसान को भी अपनी फसल का उच्च मूल्य मिल सके।

नीति निर्धारण द्वारा उन शोध संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण द्वारा प्रोत्साहन दिया जाये जो फसलों के बौद्धिक संपदा के अधिकार पर कार्य कर सकें जो किसी आविष्कार एवं सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता हो । इसके अंतर्गत पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार, पादप प्रजनक का अधिकार, एकीकृत परिपथ का ले–आउट या खाका डिजाइन इत्यादि आते हैं । बौद्धिक सम्पदा के वे सभी अधिकार जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हैं, उनका संरक्षण भी अपेक्षित है।

देश में 103 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, 72 केंद्र एवं राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, 6000 कृषि वैज्ञानिक, 25000 शैक्षणिक समुदाय और कृषि विकास केंद्रों में 11000 प्रोफेशनल कार्यरत हैं। वास्तविकता यह भी है कि कृषि में शोध पर आवंटित धनराशि का 90 प्रतिशत वेतन, शेष 10 प्रतिशत में से अधिकांश प्रशासनिक खर्चों पर और

कृषि के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे बाजारी और औद्योगिक मांग और मांग के समयानुसार आवश्यक विशिष्ट फसलों का चयन हो और उनका उत्पादन किसानों के लिए हितकर हो। उद्योग और किसानों के बीच ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संवाद हो सके।

नाम मात्र को कृषि में शोध के लिए बचता है। इस ओर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शोध के लिए आवंटित धनराशि शोध पर ही खर्च हो।

बीजों की नयी और उच्चीकृत किस्मों को प्रयोग में लाया जाये और फसलों की अधिक उपज के लिए अनुकूल फर्टिलाइजर, इसेक्टिसाइड, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने या कम करने के उद्देश्य से नवीकृत टैक्नोलॉजी का शोध और प्रयोग हो।

कृषि क्षेत्र में भी कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट व्यवस्था का लाभ किसानों को मिले। भू–संरक्षण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसलों का चयन, किसानों के लिए विभिन्न डिजिटल माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

कृषि के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे बाजारी और औद्योगिक मांग और मांग के समयानुसार आवश्यक विशिष्ट फसलों का चयन हो और उनका उत्पादन किसानों के लिए हितकर हो। उद्योग और किसानों के बीच ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संवाद हो सके।

अनाज के वैश्विक बाजार में निर्यात के उद्देश्य से कृषि संबंधित टैक्नोलॉजी, डिमांड के अनुसार फसल का उत्पादन, फसलों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना, फर्टिलाइजर और इंसेक्टीसाइड का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोग, अनाज की गुणवत्ता, वैल्यू चेन मैनेजमेंट, भंडारण आदि पर ध्यान देना आवश्यक है।

फसलों के लिए ड्रिप सिंचन, स्प्रिंकलर और होज़ रील के माध्यम से सिंचाई से कम जल के प्रयोग से किसानों का हित हो सकता है। कम जल के प्रयोग को डॉयरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर से किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

किसानों के हित में उदारवादी बाजार की बहुत आवश्यकता है। कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहन और बैंकों द्वारा एफ पी ओ को ऋण संबंधी सहायता की आवश्यकता है। डिजिटल एग्रीकल्चरल आउटपुट मैनेजमेंट की व्यवस्था किसानों के बहुत हित में है। फसलों के नुकसान की भरपाई का प्रबंधन भी आवश्यक है।

यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसानों को रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड आदि पर सब्सिडी ने भूमि से अतिरेक जल दोहन और पर्यावरणीय प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ा दिया है जो चीन और ब्राजील के बाद भारत में सबसे अधिक है। अकेले पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक जल दोहन से भूमिगत जल संरक्षण में भारी कमी हुई है।

समय की आवश्यकता है कि किसानों के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो सरकार को उपभोक्ता लाभ के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है, को समयानुकूल संशोधित किया जाए।

सरकार के संतुलनकारों से अपेक्षा की जा रही है कि वे उपरोक्त सभी तथ्य और बिंदुओं पर विचार करके कृषि संबंधी नीतियों का निर्धारण करने के लिए ठोस पहल करे, जिससे आमजन का बड़ा हित सध सके। ❑❑

जलवायु प्रवासन और शरणार्थी

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान समुद्री जलस्तर एवं अन्य मौसमी चरम घटनाओं के कारण जलवायु प्रवासन में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी वैश्विक संस्था द्वारा ऐसे किसी प्रवासन और जलवायु शरणार्थियों के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अभी तक प्रवासन के मुख्य कारकों में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों को ही परिभाषित किया जाता रहा है।

जलवायु प्रवासन से तात्पर्य पर्यावरण में परिवर्तन के कारण (जो उनके रहने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है) लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन से है। वर्तमान में मानव प्रवासन और विस्थापन के लिए जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में पहचान गया है उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सूचकांक का अनुमान है कि हर वर्ष मौसम संबंधी घटनाओं के कारण दुनिया भर के देशों में औसतन 20 मिलियन लोग अन्य क्षेत्रों में विस्थापित होते हैं। यूएनएचसीआर के अनुसार जैसे–जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेज हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोग सुरक्षित और अधिक टिकाऊ जीवन स्थितियों की तलाश में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होते रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व भी पर्यावरणीय चालकों से जुड़ी मानव गतिशीलता देखी जाती रही है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन और प्रभाव अधिक आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन और विस्थापन को गति दे रहा है।

कभी–कभी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव काफी प्रत्यक्ष होते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कुछ क्षेत्रों में सुखा के कारण वहां के लोग रोजी–रोटी अर्जित करने के लिए प्रदेश से बाहर का रास्ता अपनाते रहे हैं। आज से एक दो दशक पहले इन क्षेत्रों से जो लोग उर्वर क्षेत्र में गए उनमें से अधिकांश वहीं रह गए। हालांकि अब स्थितियों में थोड़ा बदलाव आया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की नदी जोड़ो योजना के बदौलत वहां की छोटे नदियों में भी बरसात का पानी जमा होने लगा है जिससे पानी की समस्या

जलवायु प्रवास के इस बड़े संकट को देखते हुए दुनिया के सभी देश खासकर आमिर मुल्कों को आगे आकर मानवता की रक्षा के लिए अपना सबसे अच्छा योगदान सुनिश्चित करना चाहिए।
– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

का दिन प्रतिदिन सकारात्मक हल निकल रहा है। कमोबेस यही स्थिति महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों की है। वहां के निवासियों को भी पानी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वहां के कई दुर्गम गांव में लोग अपनी बच्चियों का शादी विवाह करने से भी कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता है की पानी का संकट उन्हें कभी भी प्रवासन के लिए मजबूर कर सकता है। पूरी दुनिया ने देखा कि 2022 में सूखा के कारण एक मिलियन से अधिक सोमालियावासी अपने निवास स्थान से सुरक्षित स्थानों की ओर विस्थापित हुए थे।

हालांकि कई बार यह प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है जिसमें यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कैसे बढ़ता वैश्विक तापमान नौकरियां और आजीविका को खतरे में डालता है, जो लोगों को प्रवासन के लिए मजबूर करता है।

ज्ञात हो कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुए प्रवासन में भी जटिलताएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए किसी देश या क्षेत्र से उत्पीड़न संघर्ष और हिंसा के कारण जबरन विस्थापित किए गए अधिकांश लोग जब दूसरे देशों में या अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अक्सर दूर दराज के स्थान, भीड़भाड़ वाले शिविरों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसी जगह पर बुनियादी सेवाओं या बुनियादी ढांचे तक उनकी बहुत ही सीमित पहुंच होती है, जहां वे बाढ़, सूखा, तूफान और हीट वेव जैसे जलवायु खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

प्रोफेसर मायर्स ने अपने एक अध्ययन में अनुमान लगाया है कि 2050 तक जलवायु प्रवासियों की अनुमानित संख्या 200 मिलियन तक हो सकती है। यह अनुमान दुनिया भर में वर्तमान में एक स्वीकृत आंकड़ा बन गया है

जलवायु परिवर्तन के कारण हुए प्रवासन में भी जटिलताएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए किसी देश या क्षेत्र से उत्पीड़न संघर्ष और हिंसा के कारण जबरन विस्थापित किए गए अधिकांश लोग जब दूसरे देशों में या अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अक्सर दूर दराज के स्थान, भीड़भाड़ वाले शिविरों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

क्योंकि इसे आईसीसी से लेकर स्टर्न रिव्यू तक के प्रकाशनों में उद्धृत किया जा चुका है। यह भविष्य का आंकड़ा इसलिए भी अधिक परेशान करने वाला है क्योंकि अब वर्तमान के संपूर्ण प्रलेखित शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी की तुलना में 10 गुना वृद्धि को दर्शाता है। यदि यह आंकड़ा सही साबित होता है तो 2050 तक दुनिया में प्रत्येक 45 लोगों में से 12 लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होंगे। यह आंकड़ा वर्तमान वैश्विक प्रवासी आबादी से अधिक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार लगभग 192 मिलियन लोग या यूं कहें कि दुनिया की आबादी का तीन प्रतिशत अब भी अपने जन्म स्थान से बाहर रहते हैं।

आईपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2099 तक दुनिया आज की तुलना में औसतन 1. 8 डिग्री सेंटीग्रेड से चार डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 21 बड़े क्षेत्र के शुष्क होने का अनुमान है। इसके साथ ही वर्ष 2050 तक निरंतर सूखा वाली भूमि दो प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

21वीं सदी के मध्य तक मध्य और दक्षिण एशिया में फसल की पैदावार 30 प्रतिशत तक गिर सकती है वर्षा पैटर्न पर प्रभाव होगा कि जैसे–जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा जल विज्ञान चक्र भी बदलेगा। इससे कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा और कुछ स्थानों पर सूखे जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण एशियाई मानसून वर्ष 2050 तक लगभग 20 प्रतिशत तक मजबूत हो जाएगा। पूर्वी भारत और बांग्लादेश में अपने वर्तमान से एक प्रतिशत तक अधिक बारिश हो सकती है। इसके उलट निम्न से मध्य अक्षांशों पर कम बारिश की उम्मीद है। उप सहारा अफ्रीका के आंतरिक भागों में वार्षिक वर्षा 10 प्रतिशत तक कम हो सकती है कम वर्षा का विशेष रूप से अफ्रीकी कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जो कि बड़े पैमाने पर वर्षा पर ही आधारित है।

इसके साथ ही 2050 के दशक तक प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 10 से बढ़कर 25 मिलियन प्रतिवर्ष हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र स्तर में वर्ष 2030 तक 8 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर के बीच वर्ष 2050 तक 17 सेंटीमीटर से 29 सेंटीमीटर के बीच और वर्ष 2100 तक 35 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच वृद्धि हो सकती है। इस बढ़े हुए समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरुप तटीय आर्द्र भूमि का क्षेत्र घटने का अनुमान किया गया है इससे आर्द्र भूमि का नुकसान 2050 और 2021 के दशक तक दुनिया के मौजूदा तटीय आर्द्र भूमि का क्रमशः 25 प्रतिशत और 42 प्रतिशत तक हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन का प्रवासन पर प्रभाव के संबंध में वर्ष 1990 में ही इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने आगाह किया था कि

जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव मानव प्रवास पर हो सकता है। इसके प्रमुख कारणों में तट रेखा कटाव, तटीय बाढ़ और कृषि व्यवधान से लाखों लोग अपने मूल निवास क्षेत्र से विस्थापित हो सकते हैं।

जलवायु प्रवासन कोई नई बात नहीं है। साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव बस्ती के पैटर्न ने जलवायु में परिवर्तनों के प्रति बार–बार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पहले भी बड़े शहरी सभ्यताओं का उद्‌भव जलवायु और पर्यावरणीय शुष्कता के संयोजन से प्रेरित था। मिस्त्र और मेसोपोटामिया के जटिल समाजों का उदय तब हुआ जब लोग शुष्क वन भूमि से दूर नदी क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। चौथी शताब्दी के दौरान बढ़ती स्वच्छता और ठंडा तापमान में लंबे समय तक ठंडी हवा के कारण जर्मनी के लोगों की भीड़ बोल्गा की ओर बढ़ गई और अंततः बीसीगोथ्स द्वारा रोम पर कब्जा कर लिया गया। इसी तरह आठवीं शताब्दी में भूमध्य सागर और दक्षिणी यूरोप में मुस्लिम विस्तार को आकार मिला। मध्य पूर्व में अत्यंत सुखा के कारण वहां के लोगों ने विस्थापन किया। उसी दौर में विभिन्न कारणों से मुस्लिम आबादी भारत आई और धीरे–धीरे यहां की निवासी बनती गई।

1951 का जेनेवा कन्वेंशन शरणार्थियों की कानूनी परिभाषा देता है लेकिन इसमें शरण मांगने के आधार के रूप में जलवायु आपदाएं शामिल नहीं है। पहली बार 1985 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में पर्यावरणीय प्रावधान के कारण अपना निवास छोड़ने वाले लोगों को शरणार्थी के रूप में परिभाषित किया। वर्ष 2011 के नार्वे में जलवायु परिवर्तन और विस्थापन पर नामसेन सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और सीमा पर विस्थापन पर 10 सिद्धांत तैयार किए गए। वर्ष 2018 में शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट में जलवायु शरणार्थियों का संदर्भ है लेकिन देश की ओर से करवाई योग्य प्रतिबद्धताओं का अभाव है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और तूआलू ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित तूआलू के कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करने और वहां काम करने की अनुमति देता है। जलवायु प्रवासन निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। जलवायु शरणार्थियों के लिए अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा अथवा उनके जीवनयापन विषयक कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। यहां तक की कोई भी वैश्विक संस्था इस समस्या को चिन्हित करने और फिर उसका सम्यक हल निकालने के लिए आगे नहीं आई है। लेकिन इस बड़े संकट को देखते हुए दुनिया के सभी देश खासकर आमिर मुल्कों को आगे आकर मानवता की रक्षा के लिए अपना सबसे अच्छा योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

स्वदेशी जागरण मंच

राष्ट्रीय परिषद बैठक

28, 29, 30 जून, 2024 (लखनऊ–अयोध्या, उ.प्र.)

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक 28 जून 2024 को एस.आर. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लखनऊ (उ.प्र.) में प्रारंभ हुई। मंच पर श्री आर. सुंदरम (अखिल भारतीय संयोजक), श्री कश्मीरी लाल (अ.भा. संगठक), डॉ धनपत राम अग्रवाल (अ.भा. सह संयोजक), श्री अजय पत्की (अ.भा. सह संयोजक), डॉ राजकुमार मित्तल (अ.भा. सह संयोजक), डा. अमिता पत्की (अ.भा. महिला संयोजक) एवं एस.आर. ग्रुप के चेयरमैन श्री पवन सिंह चौहान विराजमान थे। जिन्होंने भारत माता, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एवं दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्जवल एवं माल्यार्पण किया। बैठक में देशभर के सभी प्रांतों से 340 कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें मातृशक्ति की संख्या सराहनीय रही।

सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों का परिचय अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार द्वारा किया गया।

श्री आर. सुंदरम ने सर्वप्रथम देशभर से पधारे समस्त कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने अपने अखिल भारतीय प्रवास के दौरान पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख की यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि स्वदेशी के कार्यकर्ताओं के मध्य भाषा कभी भी बाधक नहीं रही। उन्होंने संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के लिए कार्यकर्ताओं के प्रयासों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम देश को नई आर्थिक दिशा देने के लिए अपने सुझाव इस आग्रह के साथ प्रस्तुत करें कि देश इन पर चले। क्या नहीं करना, इस प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्टेड) सोच को बदलते हुए हम इस सकारात्मक सोच से अब आगे बढ़ेंगे कि क्या–क्या किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में देश ने ठोस प्रगति की है तथा बहुत कुछ करना अभी बाकी है।

भविष्य में हमारा कार्य 4 क्षेत्रों में केंद्रित रहेगा :–

1. स्वदेशी के मुख्य मामलें
2. स्वावलंबी भारत अभियान
3. स्वदेशी मेले
4. स्वदेशी शोध संस्थान, जो कि वर्तमान एवं 2047 तक के लिए रोड मैप तैयार करेगा।

सशक्त और समृद्ध भारत बनाने के लिए अपनी यह तीन दिवसीय बैठक इन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे एस.आर. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री पवन सिंह चौहान ने बताया कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में किस तरीके से

प्रस्ताव

शिक्षित वर्ग में कुल प्रजनन दर में चिंताजनक गिरावट

जनसांख्यिकी सिद्धांतों के अनुसार, यदि कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे गिरती है, तो भविष्य में देश की जनसंख्या घटने लगेगी। कुल प्रजनन दर (टीएफआर) से हमारा तात्पर्य किसी जनसंख्या में महिलाओं द्वारा अपने जीवनकाल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। 50 और 80 के दशक के बीच जनसंख्या विस्फोट का अनुभव करने के बाद; अब हमारा देश प्रजनन दर में गिरावट से गुजर रहा है, विशेष रूप से शिक्षित वर्ग में, जिसका जनसंख्या के आकार, संरचना और गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

हम जानते हैं कि चिकित्सा में विकास आर्थिक विकास से पहले होता है। आर्थिक विकास की कमी के कारण देश में जन्म दर बहुत धीमी गति से घटती है, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटने लगती है। लेकिन 1980 के दशक के बाद जन्म दर में गिरावट की दर भी तेज हो गई, इसलिए जनसंख्या वृद्धि की स्वाभाविक दर भी घटने लगी। मृत्यु दर, विशेषकर शिशु मृत्यु दर में कमी हमारे लिए वरदान बनकर आई और इसके परिणामस्वरूप देश के लिए एक नया अवसर भी पैदा हुआ। शिशु मृत्यु दर घटने के कारण ही कुछ वर्षों के बाद युवावस्था प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई और देश में युवाओं की आबादी लगातार बढ़ने लगी। यदि हम 2001 के आंकड़ों को लें तो देश में युवाओं (15 से 34 वर्ष आयु वर्ग) की आबादी कुल आबादी का 33.80 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 34.85 प्रतिशत हो गई और वर्तमान में यह कुल आबादी के 35.3 प्रतिशत से अधिक हो गई है। अगर हम युवाओं की कुल संख्या का अनुमान लगाएं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। युवा आबादी, देश के विकास में अधिक योगदान दे सकती है। आज हर कोई इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की बात कर रहा है। आज अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि अगर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो देश में जनसंख्या बोझ नहीं है। जरूरत है कि हम अपनी युवा शक्ति का पूरा और कुशल उपयोग करें।

जनसंख्या में गिरावट की आशंका

दुनिया के ज़्यादातर विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर शून्य से नीचे चली गई है। यानी अब इन देशों में जनसंख्या घटने लगी है। इन देशों में प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर में गिरावट की ओर इशारा कर रही है। आज एशिया के कुछ देशों – चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अनेक यूरोपियन देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस आदि में घटता टीएफआर बड़ी समस्या बन गया है और इनकी सरकारें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चल रहीं हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति अब भारत में भी बन रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सकल प्रजनन दर वर्ष 2019–21 में 1.99 पर पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले समय में जनसंख्या में कमी देखने को मिल सकती है। असली सवाल कुल प्रजनन दर में गिरावट का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गंभीर चिंता यह है कि कुछ वर्गों में यह बहुत ज़्यादा कम हो गई है और कुछ वर्गों में यह बढ़ भी रही है।

उल्लेखनीय है कि निरक्षर महिलाओं में प्रजनन दर सबसे पहले 1991 में 3.33 से बढ़कर 2001 में 3.36 हुई और बाद में घटकर 2011 में 3.17 हो गई, लेकिन शिक्षित महिलाओं (स्नातक और उससे ऊपर) में यह प्रजनन दर लगातार घट रही है। 1991 में यह 1.62 थी जो 2011 में 1.40 हो गई। ऐसा ही संकेत मैट्रिक से ऊपर शिक्षित लेकिन स्नातक नहीं महिलाओं से भी मिल रहा है, जिनकी प्रजनन दर 1991 में 2.08 से घटकर 2011 में 1.77 हो गई। इन आंकड़ों से यह बात ध्यान में आती है कि अधिकांश निरक्षरों में प्रजनन दर अभी भी अधिक है और शिक्षित और अधिक सुविधा संपन्न लोगों में यह प्रजनन दर काफी कम हो गई है। यानी जो लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अन्य तरीकों से बेहतर जीवन दे सकते हैं, उनकी प्रजनन दर कम है और जो लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अन्य तरीकों से बेहतर जीवन नहीं दे पाते, उनकी प्रजनन दर कम है। यदि शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम है और गिर रही है, तो यह स्थिति भविष्य में जनसंख्या संरचना में सबसे खराब स्थिति की ओर बदलाव का संकेत देती है। इसके अलावा, हम देखते हैं कि कुछ धार्मिक समुदायों में, उनके निम्न शिक्षा स्तर और सांस्कृतिक कारणों से प्रजनन दर उच्च बनी हुई है।

आजकल शहरी क्षेत्रों में एक नई सोच उभर रही है, जो शिक्षित व उच्च शिक्षित लोगों तथा उच्च आय वर्ग के लोगों में अधिक प्रचलित है। यह सोच पश्चिम की उपभोक्तावादी सोच से प्रेरित है। शहरों में कामकाजी दम्पति अब परिवार बढ़ाने के बजाय अधिक स्वतंत्र व विलासितापूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। भारतीय समाज में परिवार संस्था का शुरू से ही विशेष महत्व रहा है। माता–पिता अपने बच्चों के साथ तथा उन बच्चों के विवाह के बाद उनके बच्चे, सभी एक परिवार के रूप में रहते हुए स्वाभाविक सुख का आनंद लेते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से संयुक्त परिवारों का चलन धीरे–धीरे कम होता जा रहा है और इतना ही नहीं, विवाहित बच्चों का अपने माता–पिता के साथ रहने का चलन भी कम होता जा रहा है।

आजकल एकल परिवारों के चलन के कारण कुछ युवा जोड़े अब विवाह के बंधन में नहीं रहना चाहते। इस प्रकार के अधिकांश जोड़ों में परिवार बढ़ाने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन जो युवा विवाह कर लेते हैं, उनमें से भी कई लोग परिवार को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते। ऐसे तमाम कारणों से शिक्षित युवाओं में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर लगातार कम होती जा रही है। ऐसा महसूस किया गया है कि वृहद परिवार, किसी परिवारकी स्थायी समृद्धि व सुख में सहायक होता है। वृहद परिवार सामाजिक–सुरक्षा, संस्कार एवंस्थायित्व का भी कारण बनता है और यही बात देश पर भी लागू होती है क्योंकि अंततः देश एक बड़ा समाज–परिवार ही होता है। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद, लखनऊ, 28–29–30 जून, शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त करती है। हम समझते हैं कि यह प्रवृत्ति समाज में बदलती धारणाओं का प्रतिबिंब है कि शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर तेजी से कम हो रही है, जबकि कम शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर में गिरावट बहुत कम है। जनसांख्यिकी में यह उभरती स्थिति देश में जनसंख्या की गुणवत्ता के लिए शुभ संकेत नहीं है।

इस बात की अधिक संभावना है कि कम संसाधन संपन्न परिवारों में बच्चों का एक बड़ा प्रतिशत निरक्षर और गरीब रह जाए। ऐसी स्थिति में अधिक शिक्षित आबादी का संकुचन और अशिक्षित और कम शिक्षित आबादी का विस्तार जनसंख्या की गुणवत्ता में कमी ला सकता है। सरकार व समाज को सोचना चाहिए कि टीएफआर का 2.0 से कम आने से क्या दुष्परिणाम हमारे आर्थिक भविष्य व सामाजिक संस्कृति के विकास पर पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच समाज और सरकार से जनसंख्या के आकार, संरचना और गुणवत्ता में इस अनचाही प्रवृत्ति के प्रति विचार–विमर्श करने और समाधान खोजने का आह्वान करता है। ❑

उन्होंने प्रारंभ में खेती के माध्यम से, चाय बेचने से लेकर किराने की दुकान और कपड़े की दुकान तक का काम किया, फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एजेंसी के माध्यम से अपना कारोबार खड़ा किया। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छोड़कर अपने ही गांव में अपना स्वयं का कार्य खड़ा करने का संकल्प लिया। अपने गांव में ही स्कूल खोला। आज इस एस.आर. ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस में लगभग 16,000 विद्यार्थी है और वर्ष में वे लगभग 7,000 के करीब युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं।

उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता श्री सतीश कुमार (अ.भा. सह संगठक) ने 2047 का भारत– समृद्ध और महान भारत का नारा देते हुए अपने विषय को प्रारंभ किया। संगठन के कार्यों का सिंहावलोकन करते हुए उन्होंने बताया कि आज देश के कुल 45 प्रांतों के 750 जिलों में से 550 जिलों में हमारी सक्रिय व सामान्य ईकाइयां कार्य कर रही। देश के 200 विश्वविद्यालय में पिछले दो–तीन वर्षों में कुछ न कुछ कार्यक्रम संपादित हुए। देश के अनेक, शिक्षाविद, उद्यमी, व्यापारी, विचारक इस अभियान के माध्यम से हमारे संपर्क में आए। पिछले वर्ष माय एसबीए के अंतर्गत 4950 संस्थानों में 550 युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमने पूरे देश में 4000 उद्यमियों को अपनी सफलता के लिए सम्मानित किया।

स्वदेशी जागरण मंच के बढ़ते आयाम के अंतर्गत आगे बताया कि–

- 38 संगठनों के साथ मिलकर हम स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं। स्वदेशी शोध संस्थान का भवन निर्माण का कार्य भी चल रहा है।
- स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया।
- स्वदेशी प्रकाशन का अपना काम निर्बाध गति से चल रहा है।
- लघु ऋण वितरण योजना पर भी हम कामकर रहे है।
- स्वदेशी पत्रिका और मीडिया काम कर रही है। प्रत्यक्ष बड़े कामों के अंतर्गत देश में बड़े 20 स्वदेशी मेले हुए और उद्यमिता सम्मान के कार्यक्रम भी बड़ी मात्रा में संपन्न हुए।

इस वर्ष की आगामी योजना के अंतर्गत आपने बताया कि स्वदेशी व्यवहार में, परिवार में और विचार में कैसे जाए? इस पर हमें काम करना है।

भारत @ 2047 समृद्ध और महान भारत के लिए आपने बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला– उसके लिए हमें चाहिए:

- युवा गतिमान जनसंख्या
- पूर्ण रोजगार युक्त भारत
- भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था
- अभेद्य सुरक्षा तंत्र
- विज्ञान तकनीकी में भारत का अग्रणी स्थान
- पर्यावरण हितैषी भारत
- विश्व बंधुत्व का प्रवक्ता भारत
- उच्च जीवन मूल्य

उद्घाटन सत्र का संचालन अखिल भारतीय सह संयोजक श्री अजय पत्की ने किया।

द्वितीय सत्र

यह पूरा सत्र क्षेत्रानुसार कार्य वृत्त प्रस्तुत करने का रहा।

मंचासीन श्री आर. सुंदरम एवं श्री कश्मीरी लाल की उपस्तिथि में सभी 11 क्षेत्रों के क्षेत्र संयोजकों ने अपने–अपने क्षेत्रों का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया।

दक्षिण क्षेत्र का कार्य वृत्त श्री सत्यनारायण (संगठक तमिलनाडु प्रांत), दक्षिण मध्य क्षेत्र का वृत्त श्री एस. लिंगामूर्ति (क्षेत्र समन्वयक), पश्चिम क्षेत्र का वृत्त श्री प्रशांत देशपांडे

प्रस्ताव

भारत@2047: समृद्ध एवं महान भारत

2047 में भारत के स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के निकट आते हुए, 'भारत@2047: समृद्ध एवं महान भारत' का विज़न ऐसे परिकल्पना करता है जो व्यापक विकास और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है। इस विज़न में पूर्ण रोजगार, एक युवा और गतिशील जनसंख्या, आर्थिक सर्वोच्चता, मजबूत सुरक्षा, तकनीकी नेतृत्व, पर्यावरणीय स्थिरता, वैश्विक भाईचारे, और उच्च जीवन मूल्यों के लक्ष्य शामिल हैं। यह प्रस्ताव इस विज़न को प्राप्त करने के लिए विस्तृत उद्देश्यों और रणनीतियों को रेखांकित करता है।

भारत में पूर्ण रोजगार युग

यह कहा गया है कि 2047 तक, भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाना चाहिए जिसमें लगभग पूर्ण रोजगार दर हो। स्थिर रोजगार बाजार और कम बेरोजगारी दर के परिणामस्वरूप नवाचारपूर्ण नीतियों और रणनीतिक निवेशों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। कौशल भारत, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि जैसे पहल के साथ विभिन्न नीतियों और योजनाओं ने व्यापार, निर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल को प्रासंगिक कौशल से लैस करने और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने में मदद की है।

हालांकि, अभी भी चुनौतियाँ हैं जो अर्थपूर्ण रोजगार प्रदान करने में हैं जो कौशल सेट के साथ मेल खाती हैं। रोजगार चाहने वालों से रोजगार प्रदाताओं की मानसिकता और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, महिलाओं की भागीदारी और रोजगार में समान अवसर, प्रवासन तटस्थ रोजगार सृजन, स्वदेशी रोजगार विज़नकोण को बढ़ावा देना। कार्यकारी समूह 2047 के लिए इन मुद्दों के आधार पर परिदृश्य विकसित करेगा।

युवा और गतिशील जनसंख्या

भारत, जिसकी जनसंख्या बड़ी और युवा है, वर्तमान में जनसंख्या लाभ का अनुभव कर रही है। यह 2055 तक रहने की संभावना है, जिससे भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। 2020 और 2050 के बीच कामकाजी आयु वर्ग में भारत की जनसंख्या में 183 मिलियन और लोग जुड़ेंगे। जनसंख्या संरचना में यह परिवर्तन शिक्षा और स्वास्थ्य में सतत निवेश और श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने वाली नीतियों के साथ आर्थिक वृद्धि का जनसंख्या लाभ हो सकता है। आईएमएफ के अनुसार, जनसंख्या लाभ भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि में अगले दो दशकों में प्रतिवर्ष लगभग 2 प्रतिशत अंक जोड़ सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का जनसंख्या लाभ 2030 तक भारत की जीडीपी वृद्धि को मौजूदा 3 ट्रिलियन डालर से 9 ट्रिलियन डालर और 2047 तक 40 ट्रिलियन डालर तक बढ़ा सकता है। हालांकि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को अन्य खर्चों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्रम बल को सही कौशल की आवश्यकता है, एआई और अन्य चुनौतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए।

कार्यकारी समूह को निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए – 1. 2047 तक भारत में जनसंख्या नीति क्या होनी चाहिए, जिसमें भारत और विदेश में रहने वाली जनसंख्या का आकार, इनवर्ड और आउटवर्ड प्रवासन से संबंधित नीतियों के विचार शामिल हैं। 2. इस जनसंख्या की क्षमता निर्माण के लिए कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या नीति होनी चाहिए। 3. इस जनसंख्या की क्षमता का उपयोग करने से संबंधित नीति।

वैश्विक आर्थिक शक्ति

भारत पहले पृथ्वी पर सबसे अमीर राष्ट्र था। यह लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला राष्ट्र है। लेकिन लगातार विदेशी आक्रमणों के परिणामस्वरूप, सबसे अमीर देश सबसे गरीब में से एक बन गया। अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक का दावा है कि 1851 और 1935 के बीच 175 वर्षों में, ब्रिटिशों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डालर चोरी किए। प्रोफेसर एंगस मैडिसन के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध ओईसीडी अध्ययन के अनुसार, भारत वैश्विक धन सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था, जिससे दुनिया का लगभग 33 प्रतिशत उत्पादन हो रहा था। 2047 के लिए विज़न यह है कि भारत 10 ट्रिलियन डालर से अधिक जीडीपी के साथ एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर जाएगा, जो इसे विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करेगा। डिजिटल सेवाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्थायी कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी/इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, नवाचार परिवहन प्रणाली जैसे उभरते क्षेत्रों में सतत वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चुनौती केवल इन क्षेत्रों में आर एंड डी और विनिर्माण को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण–शहरी आर्थिक प्रणालियों के उपयुक्त मिश्रण का निर्णय लेने, व्यावसायिक प्रवासन को रोकने और भारत में अधिक निवेश आकर्षित करने की भी है। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की नीति को निर्देशित करने में एक वैश्विक नेता बन सकता है, जो स्थायी कृषि, प्रकृति के सभी तत्वों और जीवों के शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के सांस्कृतिक और आर्थिक विचारों पर आधारित है।

अभेद्य सुरक्षा प्रणाली

भारत 2047 में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों, रणनीतिक गठबंधनों और व्यापक साइबर सुरक्षा उपायों को शामिल करते हुए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाए रखने का प्रयास करता है। रक्षा आधुनिकीकरण में निवेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है, जो साइबर हमलों से लेकर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों तक विभिन्न खतरों के खिलाफ तैयार रहने को सुनिश्चित करता है। वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोगात्मक प्रयास भारत की क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय शांति मिशनों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, जो इसे एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में प्रस्तुत करता है।

किसी राष्ट्र की वैश्विक स्थिति का विकास केवल उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समृद्धि, और भू–राजनीतिक रणनीति पर भी निर्भर करता है। विशेष रूप से भारत ने राष्ट्रीय शक्ति की बहुआयामी प्रकृति को मान्यता दी है। पोखरण–2 में परमाणु परीक्षणों ने उसकी सैन्य क्षमता को उजागर किया, फिर भी भारत समझता है कि सतत महानता के लिए मजबूत आर्थिक नींव और रणनीतिक भू–राजनीतिक स्थिति आवश्यक हैं।

हाल के वर्षों में, भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो बढ़ती भू–राजनीतिक चुनौतियों के जवाब में आधुनिकीकरण की अनिवार्यता से प्रेरित है। इस क्षेत्र को मजबूत और विकसित करने पर सरकार का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह परिवर्तन तकनीकी प्रगति, रणनीतिक साझेदारी, और नीतिगत पहल को शामिल करता है, जो न केवल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने बल्कि वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाने के उद्देश्य से है।

कार्यकारी समूह विभिन्न मुद्दों पर काम करेगा, जैसे रक्षा उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देना, रक्षा व्यय की संरचना की समीक्षा, नए युद्ध प्रणालियों, रक्षा नीति आदि पर विचार करना, जो 2047 तक स्थिति में होंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी

भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में नेतृत्व करना चाहिए। इसने जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग में पहले ही मील के पत्थर हासिल कर लिए हैं। इसरो और प्रमुख अनुसंधान संस्थान नवाचार को बढ़ावा देते हैं, मंगल मिशनों में सफलता, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों में प्रगति, और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र उद्यमिता को बढ़ावा देता है और वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करता है, जो इसे तकनीकी नवाचार और सतत विकास के मोर्चे पर स्थापित करता है। हालांकि, आर एंड डी, उत्पाद विकास, नवाचारपूर्ण और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कार्यकारी समूह क्षेत्रों और चुनौतियों की पहचान करेगा और वैज्ञानिक नीति और विज़नकोण पर रिपोर्ट देगा।

वैश्विक भ्रातृत्व

2047 में भारत की संलग्नता मजबूत कूटनीतिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारियों द्वारा विशेषता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, और सतत विकास को बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र और जी–20 जैसे वैश्विक मंचों में एक अग्रणी आवाज के रूप में, भारत बहुपक्षवाद, जलवायु कार्रवाई, और न्यायपूर्ण वैश्विक शासन के लिए वकालत करता है। मानवीय पहल, जिनमें आपदा राहत और विकास सहायता शामिल हैं, भारत की वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने और साझा चुनौतियों का सामूहिक समाधान करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। ''वसुधैव कुटुम्बकम'' या ''दुनिया एक परिवार है'' की अवधारणा भारतीय दर्शन में एक प्रमुख विचार है जो राष्ट्र की विज़नकोण को परिभाषित करता है। इस दर्शन की नींव यह विश्वास है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी परस्पर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति की भलाई अन्य सभी के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। इसका सबसे हालिया उदाहरण यह है कि हमारे राष्ट्र ने 101 देशों को 3012.465 यूनिट कोविड–19 टीका प्रदान किया। कार्यकारी समूह वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रति स्वदेशी विज़नकोण को बढ़ावा देने, अंतर्निहित चुनौतियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के तरीकों की दिशा में काम करेगा।

उच्च सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्यों और परिवार आधारित विचार प्रणाली के अग्रणी

2047 में भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक परिवार मूल्यों को बनाए रखता है, जो सामाजिक एकता, समावेशी और सतत जीवन प्रथाओं को बढ़ावा देता है। तीव्र शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के बावजूद, ये मूल्य भारतीय समाज के लिए अभिन्न बने रहते हैं, जो नीतियों को आकार देते हैं जो लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थायित्व को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल साक्षरता और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने वाली पहल विभिन्न समुदायों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान करती हैं, समग्र विकास और समाज कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करती हैं।

जैसे–जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र समावेशी विकास, तकनीकी नेतृत्व, और वैश्विक प्रभाव के अपने विज़नकोण को साकार करने के लिए तैयार है। एक लचीली अर्थव्यवस्था, उन्नत सुरक्षा बुनियादी ढांचे, और मूल्य–आधारित शासन के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता के साथ, भारत दुनिया के मंच पर प्रगति और अवसर के प्रतीक के रूप में प्रेरित करता रहता है। विविधता और नवाचार को अपनाते हुए, भारत का भविष्य में प्रवेश जीवन स्तर को ऊंचा करने, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, और उच्च जीवन और परिवार मूल्यों के अग्रणी के रूप में अपनी विरासत को बनाए रखने का वादा करता है। कार्यकारी समूह इस मूल्य प्रणाली के आधार पर एक वैश्विक विज़न तैयार करने का कार्य करेगा, जो हमारी आंतरिक और वैश्विक नीति की पहचान होनी चाहिए।

''भारत@2047: समृद्ध और महान भारत'' राष्ट्र के लिए एक व्यापक और समावेशी विकास योजना की परिकल्पना करता है, जो आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय, और नैतिक आयामों को संबोधित करता है। इस विज़न को साकार करने के लिए, सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, और प्रत्येक नागरिक के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि 2047 तक एक समृद्ध और महान भारत का निर्माण किया जा सके।

करयावन के लिए आह्वान

इस महत्वाकांक्षी विज़न को साकार करने के लिए, सभी के लिए साझा लक्ष्यों की ओर अपने प्रयासों को सहयोग और समन्वयित करना आवश्यक है। भारत की क्षमताओं का लाभ उठाकर और नवीन और स्थायी समाधानों के साथ उसकी चुनौतियों का सामना करके, हम सभी को मिलकर 2047 तक एक समृद्ध और महान भारत को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिये। यह सार्वजनिक जागरूकता अभियान इस साझा विज़नकोण की दिशा में राष्ट्र को प्रेरित और संगठित करना चाहता है, जिससे सभी के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके।❑

(क्षेत्र सह–संयोजक), मध्य क्षेत्र – सुधीर दाते (क्षेत्र संयोजक), राजस्थान क्षेत्र – डॉ. सतीश कुमार आचार्य (क्षेत्र संयोजक), उत्तर क्षेत्र – वृत्त प्रो. सोमनाथ सचदेवा (क्षेत्र संयोजक), पश्चिमी उत्तर प्रदेश – डॉ. अमितेश अमित (क्षेत्र संयोजक), पूर्वी उत्तर प्रदेश – श्री अनुपम श्रीवास्तव (क्षेत्र संयोजक), बिहार–झारखंड क्षेत्र – श्री अमरेंद्र सिंह (क्षेत्र संयोजक), पूर्वी क्षेत्र – श्री शत्रुघ्न तरई (क्षेत्र संयोजक), पूर्वोत्तर क्षेत्र – श्री दीपक शर्मा (क्षेत्र संयोजक) ने कार्य वृत्त प्रस्तुत किया।

सत्र का संचालन श्रीमती अर्चना मीना (अ.भा. सह महिला कार्य प्रमुख) ने किया।

तृतीय सत्र

यह सत्र प्रस्ताव एवं विषय चर्चा का रहा। जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषय पर प्रस्ताव डॉ. राजकुमार मित्तल (अ.भा. सहसंयोजक) ने प्रस्तुत किया। प्रस्ताव की भूमिका रखते हुए उन्होंने बताया कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है उसे टीएफआर (टोटल फर्टिलिटी रेट) कहते हैं। वर्तमान में भारत की यह प्रजनन दर 1.9 प्रतिशत है, भारत में यह दर विशेष कर शिक्षित परिवारों में गिर रही है। टीएफआर गिरने के कारणों में संयुक्त परिवारों का टूटना है। संयुक्त परिवार में कोई न कोई बालक का रखरखाव जरूर करता था, परंतु वर्तमान में एकल परिवारों के कारण विशेषकर शिक्षा के प्रचार–प्रसार के चलते युवा दंपत्तियों ने पिछले कुछ वर्षों से एक ही संतान उत्पत्ति की प्रवृत्ति को चला दिया है। यह आगे जाकर भारत की युवा जनसंख्या के लिए खतरा होगा।

विश्व के अनेकों देशों में टीएफआर की कमी के चलते पश्चिमी देश, जापान कोरिया जैसे देश बूढ़े होते जा रहे हैं। आज भारत विश्व की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। यदि हमें आगे भी चलकर युवा बने रहना है तो इस टीएफआर को बढ़ाना होगा। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा, देश के लिए युवा जनसंख्या को बनाए रखने के लिए इसके सुधार का आह्वान करती है।

जनसंख्या संबंधी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसी सत्र में डॉ राजकुमार चतुर्वेदी (अ.भा. संपर्क प्रमुख) ने 'युवा भारत – भारत की प्रगति का आधार' विषय पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रजनन दर 2.1 प्रति महिला होना आवश्यक है। भारत में यह दर 2023 के अनुसार 1.9 हो चुकी है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है, यह वैश्विक जनसंख्या संबंधी नीतियों के कारण हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां पति–पत्नी कमा रहे हैं, वहां बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं। पढ़ा–लिखा जवान, युवक और युवती अब सामाजिकता में रुचि नहीं ले रहा। गर्भपात की दर भी बढ़ रही है। हालांकि भारत में सबसे कम विवाह विच्छेद होते हैं, फिर भी इस प्रवृत्ति पर रोक आवश्यक है।

इसी सत्र में डॉ. मधुर महाजन (पंजाब प्रांत विचार विभाग प्रमुख) ने विमर्श के अंतर्गत विकास की भारतीय अवधारणा विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऐसे नॉरेटिव खड़े किए जा रहे हैं जिनमें यह कहा जाता है कि भारत की यह ग्रोथ फेक है, झूठी है। यह विमर्श की लड़ाई है, इसलिए भारत के विकास की अवधारणा के आधार पर जमीन स्तर पर कार्य करने के लिए कुछ स्थानों पर आर्थिक समूह बनाकर सकारात्मक विमर्श पर कार्य शुरू किया है इनमें उदयपुर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है।

इसी सत्र में आई.आई.डी. के प्रमुख श्री मुकेश शुक्ला ने अपने समूह समाधान के माध्यम से बताया कि हम उद्यमी थे, कर्म आधारित हमारी पहचान थी, वहीं हम अंग्रेज़ों के समय जातियां बन गए, जैसे– सुनार, लुहार, तेली और बाद में हम सब अंग्रेज़ों के नौकर बनकर रह गए। इसलिए यदि हमें देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो हर घर में एक उद्यमी होना आवश्यक है। हमें युवाओं को उद्यम की ओर मोड़ना होगा और उसके लिए हमारा संगठन समाधान प्रस्तुत करता है।

इसी सत्र में श्री अजय उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक 'ग्लोबल मार्केट फोर्सज' का विमोचन किया गया। सत्र का संचालन डॉ एस. लिंगामूर्ति ने किया।

चतुर्थ सत्र

इस सत्र में क्षेत्रानुसार बैठकें आयोजित की गई, जिसमें चर्चा के निम्न बिंदु रहेः

1. पूर्णकालिक कार्यकर्ता
2. महिला कार्य और उसकी स्थिति
3. स्वदेशी मेला
4. केंद्रीय पदाधिकारी प्रवास
5. प्रांत के विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग
6. जैविक उद्यमिता पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम
7. उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

क्षेत्र अनुसार इन बैठकों में केंद्रीय अधिकारी के रुप में श्री जितेन्द्र गुप्त, श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', डॉ अमिता पत्की, श्रीमती अर्चना मीना, श्रीमती विजया रश्मी, डॉ. राघवेंद्र चंदेल, श्री बलराम नन्दवानी, श्री अनिल शर्मा, श्री धर्मेन्द्र दुबे ने उक्त विषयों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

बैठकों का संचालन संबंधित क्षेत्र संयोजकों द्वारा किया गया।

पंचम सत्र

यह सत्र भी प्रस्ताव एवं विषय चर्चा का रहा। इस सत्र में श्री आर. सुन्दरम, प्रो. प्रदीप चौहान (जेएनयू) व डॉ धनपत राम अग्रवाल मंचासीन रहे।

प्रो. प्रदीप चौहान ने 2047 का समृद्ध एवं महान भारत विषय पर प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकार के नीति आयोग ने भी विकसित भारत के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है परंतु हमारा प्रस्ताव समृद्धि एवं महान भारत का है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भारत सरकार मुख्यतः आर्थिक विषयों पर बल दे रही है, परंतु हमारा प्रस्ताव सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक और नैतिक मूल्यों के विषय पर भी बल देगा। जिससे भारत 2047 में अमेरिका जैसा भौतिकवादी देश न बने। आर्थिक विकास की होड़ में पश्चिम देशों के जैसे प्रकृति का शोषण न हो।

पहले कहा जाता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है परंतु ऐसा नहीं कृषि उत्पादन तो होता ही था परंतु हम कृषि के साथ–साथ एक समृद्ध उद्योग व्यवस्था के संचालक भी थे।

भारत कोविड के दौरान ग्लोबल फार्मेसी बनकर सामने आया। अब हम डिफेंस के क्षेत्र में भी निर्यात करने लग गए हैं। विश्व के अन्य देशों को भारत की आंतरिक शक्ति की ताकत पता है अब भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वैश्विक समूह में भारत को अपने साथ रखने की होड़ मची है। पहले हमें दृढ़ विश्वास बनाना है कि हम भारत को विश्व की प्रथम शक्ति बनाकर रहेंगे ।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भारतीय चिंतन शैली के आधार पर हो प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इस प्रकार है।

- युवा एवं गतिमान जनसंख्या
- कौशल एवं नवाचार युक्त भारत
- मजबूत सुरक्षा तंत्र
- तकनीकी नेतृत्व
- पर्यावरण संधारित सतत विकास
- उच्च जीवन मूल्य

बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया।

डॉ धनपत राम अग्रवाल ने 'ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन' विषय पर अपने विचार रखते हुए बताया कि भारतीय मूल के जो भी लोग संपूर्ण विश्व के लगभग 189 देशों में रह रहे हैं, यह 3.25 करोड़ लोग हैं जिन्हें हम एनआरआई के नाम से जानते हैं। ये भारतीय लोग भारत से बाहर है परंतु भारत को लगभग 125 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष भारत को भेजते हैं।

आज हमारा केंद्र बिंदु उद्यमिता है। क्या हम विदेशों में बसे भारतीयों की प्रतिभा का उपयोग कर समृद्ध भारत की परिकल्पना से जोड़ सकते हैं या उनकी सहभागिता का

उपयोग किया जा सकता है। 105 ट्रिलियन डॉलर की दुनिया की इकोनॉमी में वर्तमान में भारत की लगभग चार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था है जबकि विश्व की जनसंख्या में हमारा 18 प्रतिशत हिस्सा है। परंतु विश्व जीडीपी में हम 3.5 प्रतिशत पर है। भारतीयों के भारत से बाहर जाने के अनेक कारण रहे होंगे। वर्तमान में हमारी नीतियों में स्थिरता आवश्यक है। हमारी प्राथमिकता में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम ब्रेन गेन नहीं कर सकते। हमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे बढ़ाना है तो ब्रेन ड्रेन को रोककर ब्रेन गेन करने की आवश्यकता है। इसका उपयोग करते हुए एक समृद्धशाली भारत की आधारशिला तैयार कर सकते हैं।

सत्र का संचालन अ.भा. सघर्षवाहिनी प्रमुख श्री अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने किया।

षष्ठम सत्र

इस सत्र में अनेक विषयों पर चर्चा हुई:

1. डॉ विकास ने **उद्यमिता के जैविक पथ** विषय पर अपने विचार रखते हुए बताया कि जैविक उद्यमिता के टारगेट समूह में 90 प्रतिशत वह लोग हैं जो युवा हैं या नारी शक्ति है जो रोजगार की तलाश में है। जैविक उद्यमिता का विचार इसलिए भी आया कि हमें पश्चिम के कॉरपोरेट और उद्यमिता मॉडल से दूरी बनाए रखते हुए हमारे युवा जैविक उद्यमिता के आधार स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके अपने उद्यम शुरू कर सकते हैं। इस जैविक उद्यमिता के पथ को अपनाते हुए हम बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार दे सकते हैं।

2. प्रो. सोमनाथ सचदेवा (कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय) ने **विकसित भारत @2047** का समृद्ध और महान भारत के निर्माण में विज्ञान एवं तकनीकी का योगदान विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी युवा एवं गतिमान जनसंख्या आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणीय है। स्कूल शिक्षा के समय ही बच्चों की मानसिकता बनाना आवश्यक है। एजुकेशन सिस्टम में ही प्रोजेक्ट बनाना, उद्योगों से जोड़ना, नवाचार आधारित इन्वेस्टमेंट करना इत्यादि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत नवाचार लागू किए गए हैं उन्हें धरातल पर उतारना ,रिसर्च को बढ़ावा देना, इंजीनियरिंग

के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना ,अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक है।

3. श्री अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने **पर्यावरण संरक्षण** विषय पर अपनी बात पंच महाभूतों–पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से आरम्भ करते हुए कहा कि आज प्रत्येक देश ग्रीन गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारी जीवन चर्या, समाज चर्या में पर्यावरण के प्रति हमारी कितनी संवेदनशीलता है। उन्होंने बताया कि आज दुनिया में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे कम वृक्ष भारत में है। भारत में पिछले 30 वर्षों में पीने का पानी 30 प्रतिशत से भी कम हुआ है। बड़े–बड़े हाईवे और उद्योगों की स्थापना तथा खनन की प्रक्रिया में पेडों के काटने के लिए कोई नीति नहीं है। हमें इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए।

4. श्री अनिल शर्मा ने **स्वदेशी शोध संस्थान** के निर्माण की जानकारी देते हुए कहा कि धर्मस्य मूलं अर्थ यह हमारा ध्येय वाक्य है। स्वदेशी शोध संस्थान के अंतर्गत पिछले दिनों अनेक कार्यक्रम किए गए। शोध संस्थान की वेबसाइट एवं लोगो लांच किया गया। स्वदेशी शोध संस्थान द्वारा अनेक एम.ओ.यू. किए गए।

5. श्री साकेत राठौर ने **स्वर्णिम भारत फाउंडेशन** की जानकारी देते हुए बताया कि इसका गठन गत वर्ष 2023 में किया गया। हमारे देश भर में लगने वाले स्वदेशी मेले स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के अंतर्गत लग रहे हैं।

6. अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ राजीव कुमार ने **केंद्रीय अधिकारियों के प्रवास** की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष केन्द्रीय अधिकारी प्रवास 9 अगस्त को अरणाचल प्रदेश से आरंभ होगा। श्री आर. सुंदरम इस प्रवास को आरंभ करेंगे। यह प्रवास 10 नवंबर को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म जयंती पर वर्धा (महाराष्ट्र) में संपंन होगा। अपने सभी केंद्रीय अधिकारी इस प्रवास का हिस्सा रहेंगे। इस प्रवास में अधिकारियों की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक आयोजित करनी चाहिए। युवाओं के मध्य स्वावलंबी भारत अभियान के भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

सत्र का संचालन स्वावलंबी भारत अभियान के सह–समन्वयक श्री जितेन्द्र गुप्त ने किया।

सप्तम सत्र

यह सत्र समूहशः 3 समूहों में आयोजित किया गया। सत्र में प्रमुख रूप से 3 विषय– पंच परिवर्तन, अर्थ संचय एवं प्रबंधन, प्रचार तंत्र (माय एसबीए) पर चर्चा हुई।

पंच परिवर्तन विषय पर श्री केशव दुबौलिया, श्री के. जगदीश, श्री अजय उपाध्याय, एसबीए प्रचार तंत्र विषय पर डॉ धर्मेंद्र दुबे, श्रीमती अर्चना मीना, श्री वैभव, जबकि अर्थ संचय एवं प्रबंधन विषय पर श्री बलराम नन्दवानी, श्री अनिल शर्मा एवं श्री सतीश चावला ने चर्चा की।

अष्टम सत्र

यह सत्र कार्यकर्ता, आत्मसवर्धन एवं टीम वर्क विषय पर केंद्रित रहा। मंच पर श्री कश्मीरी लाल, श्री दिनेश नंदवाना (वक्रांगी समूह), डॉ राजीव गुप्ता (गायत्री परिवार), श्री चेतराम (वनवासी कल्याण आश्रम) उपस्थित रहे।

श्री दिनेश नंदवाना ने भारत के भारत के गौरवशाली आर्थिक इतिहास की चर्चा करते हुए बताया कि हम पहले स्वावलंबी थे, मौर्य काल से मुगल काल तक हम 35 प्रतिशत तक जीडीपी से आगे बढ़ रहे थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के चलते भारत की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हुई। हम भारत का खोया हुआ यह स्वर्णिम युग वापस ला सकते हैं। हमें हमारे युवाओं को प्राचीन गौरवशाली आर्थिक इतिहास की जानकारी देते हुए उन्हें स्वावलंबन, उद्यमिता के आधार पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी होगी। स्वावलंबन के आधार पर हम पुनः विश्व में आर्थिक शक्ति बन सकते हैं।

श्री कश्मीरी लाल ने अपनी चिर–परिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं से संवाद शैली के आधार पर स्वदेशी, स्वावलंबन और शोध विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में परिवर्तन स्वावलंबन के आधार पर ही दिखाई देगा, परंतु स्वदेशी का मूल कार्य हमेशा साथ–साथ चलना चाहिए। हमें शोध के क्षेत्र में स्थानीय स्तर की शोध की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अपने गांव, अपने जिलें, अपने प्रांत के आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण करना चाहिए।

वर्तमान में चल रहे नकारात्मक विमर्श के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि–ग्लोबल मार्केट फोर्सज और भारतीय विकास की अवधारणा इन दो विषयों पर स्वदेशी जागरण मंच को काम करना है। राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की के जन्मदिवस 10 नवंबर को हमें अपने जिला स्तर पर कोई न कोई कार्यक्रम करना चाहिए।

पांच परिवर्तन या पंच प्राण की चर्चा करते हुए श्री कश्मीरी लाल ने बताया कि स्वदेशी का कार्यकर्ता अपना स्वयं का आकलन करें कि मेरे घर में, मेरे कार्य में, मेरे समाज में, यह स्वदेशी भाव और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग कैसै होगा? हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा, हमारे भेषज, और भोजन में भी स्वदेशी का दर्शन हो। वर्तमान में देश में लगभग 189 पूर्ण कालिक कार्यकर्ता पूरा समय देकर स्वदेशी का कार्य कर रहे हैं। हमें युवाओं के मध्य कार्य का विस्तार करने के लिए अपने प्रत्येक जिला स्तर पर युवाओं प्रमुख बनाने चाहिए। कार्यक्रमों में भी युवा उद्यमियों को, युवा संतों को आमंत्रित करना चाहिए।

यदि हम सभी संगठन भाव से और स्वदेशी के मूल विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तभी भारत विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होगा। सत्र संचालन श्री केशव दुबौलिया ने किया।

नवम सत्र

इस सत्र में मंच पर माननीय वी. भागैय्या जी, श्री आर. सुंदरम, श्री कश्मीरी लाल, डॉ धनपत राम अग्रवाल, श्री अजय पत्की व डॉ राजकुमार मित्तल उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम क्षेत्र संयोजक श्री अनुपम श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में व्यवस्थाओं में लगे सभी कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। डॉ. राजकुमार मित्तल ने श्री आर. सुन्दरम की ओर से नवीन दायित्वों की घोषणा की।

श्री आर. सुंदरम ने कार्यकर्ताओं को दिए अपने संदेश में कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का मूल मंत्र है विकेंद्रीकरण। यद्यपि हमने प्रारंभ से ही वैश्विक घटनाक्रम तथा वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर निरंतर फोकस करके अध्ययन किया है। जिसके फलस्वरूप उन पर एक व्यापक समझ हमनें विकसित कर ली है किन्तु अब समय आ गया है कि हम अपने देश के भीतर की असीम शक्ति को पहचानें और देश के ही विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं और उनकी आर्थिक गतिविधियों पर भी अध्ययन प्रारंभ करें। कुछ राज्य बहूत बड़े हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उन राज्यों के भीतर ही भिन्न भिन्न क्षेत्रीय स्तर पर भी अध्ययन प्रारंभ करें। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि।

हमारा अंतिम लक्ष्य जिला केंद्रित/जिला आधारित अर्थव्यवस्था है, किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए राज्य उनका गेट वे हैं। मेरा स्वदेशी जागरण मंच की सभी राज्य इकाइयों से सुझाव है कि वे राज्य या उसके किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियां और उसमें छिपी संभावनाओं को पूरी गहराई से अध्ययन करके समझें और उसी के आधार पर अपने कार्य की आगामी रणनीति बनायें। हम पिछले कुछ समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं किन्तु अब इस विचार का समय आ गया है।

डॉ. विजय गोविंद राजन नें अपनी पुस्तक "द थ्री बॉक्स थ्योरी" में ब्रह्मा विष्णु महेश का उदाहरण देते हुए इसे बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है। ब्रह्माजी सृजन करते हुए, भगवान विष्णु रक्षण करते हुए और महादेव शिव संहार करते हुए भी ये तीनों एक ही समय में एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। सृजन करना, उसका रक्षण करना और उसे त्याग देना यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया भी इसका अपवाद नहीं है।

आज हम लखनऊ में हैं और कल श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारी मनोकामना है कि देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए नीतियां कैसी हों इसका शोध करने के लिए स्वदेशी का एक शोध केंद्र श्री अयोध्या जी में भी स्थापित हो। ऐसा विश्वास है कि सबके सहयोग से यह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी।

माननीय भागैय्या जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अवधारणा में प्रकृति और मनुष्य का सम्बन्ध बताया गया है, उनका सदैव संतुलन बना रहना चाहिए। प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है परंतु मनुष्य की कामनाओं को नहीं। प्रकृति पूजा करना और उसका संरक्षण करना यही शाश्वत है ।

समाज में, जीवन शैली में, दृष्टि में, परिवर्तन लाना ही स्वदेशी की अवधारणा है ।

मंच का कार्य सबको जोड़कर चलना है। गांधी जी के चरखा चलाकर स्वदेशी के किए गए आवाह्न का तात्पर्य हमारे पुरुषार्थ को जागृत करना था। हम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं तो संघर्ष दिखना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच का कार्य है कि सरकार कोई भी हो लेकिन गलत नीतियों का विरोध सदैव करना चाहिए। संघर्ष के लिए अनशन करना चाहिए, आन्दोलन करना चाहिए। जरूरत पड़े तो जेल भी जाना चाहिए।

जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को गहराई में जाकर कार्य करना चाहिए। कार्यकर्ता समय समर्पण के साथ–साथ मन का भी और स्वभाव का भी समर्पण आवश्यक है। मत भिन्नता हो सकती है परंतु मन भिन्नता नहीं रखनी चाहिए।

स्वयं के जीवन में तपस्या नहीं ,साधना नहीं तो फिर समाज परिवर्तन कैसे होगा। बड़े कार्यकर्ताओं को निचले कार्यकर्ताओं को संभालना होगा। स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी सतह पर आकर अपने मूल कार्य को करना चाहिए।

सत्र का संचालन अ.भा. विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार ने किया। अंत में वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ बैठक सम्पन्न हुई

अयोध्या दर्शन

30 जून को सभी कार्यकर्ता बसों द्वारा लखनऊ से चलकर अयोध्या पहुंचे जहां सभी ने प्रभु रामलला के दर्शन करें। दर्शन उपरांत सभी कार्यकर्ता कारसेवकपुरम पधारे जहां भोजन उपरांत आयोजित संक्षिप्त सत्र में श्री कश्मीरी लाल और श्री आर. सुंदरम ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस सत्र में अनुभव कथन भी हुआ जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने–अपने अनुभव बताएं। अन्त में रामराज्य के संकल्प एवं जय श्रीराम के उदघोष के साथ सभी प्रतिनिधियों ने अपने–अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान किया। ❑❑

स्वदेशीः कल, आज और कल

जीवन के सभी पक्षों में हो 'स्व' का भावः डॉ. कृष्ण गोपाल

स्वदेशी में निहित 'स्व' का भाव सिर्फ आर्थिकी में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी पक्षों में होना चाहिए। यह भाव हमें अपनी प्राचीन परंपराओं से तो जोड़ता ही है, भविष्य की मजबूत बुनियाद के लिए भी सुगम राह तैयार करता है। प्राणी मात्र के भीतर जीवन के विविध पक्षों में 'स्व' का भाव हो तो उसके उत्थान की संभावनाएं ओर अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में स्वदेशी हमें 'स्व' के मार्ग पर चलने की दिशा प्रशस्त करती है।

उक्त बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कही। मौका था, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रो. अश्वनी महाजन के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में आयोजित विदाई कार्यक्रम का। दिनांक 4 जुलाई 2024 को दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विदाई कार्यक्रम के दौरान 'स्वदेशीः कल, आज और कल' विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई। परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात रखते हुए आरएसएस नेता ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच अपने प्रारंभ से ही आर्थिक क्षेत्र में 'स्व' की भावना को आगे कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्वदेशी शोध एवं नवाचार के जरिये देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने का प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे अर्थशास्त्रियों को विशेष रूप से भारतीय अर्थशास्त्र के इतिहास को जानना चाहिए। प्राचीन काल में भारत का व्यापार इतना सम्मुन्नत था कि पश्चिमी देशों को कर्ताधर्ता भारत से आयात कम करने की बात करते थे। भारत अपने स्वदेशी उद्योगों के बल पर दुनिया में सबसे आगे था।

डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि हमें यहां ठहरकर विचार करना होगा कि 'स्व' की भावना केवल आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि जीवन के विविध प्रसंगों में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, 'स्व' का घोर अभाव है। हमारे देश में एक ऐसी न्याय प्रणाली का प्रचलन है जो सीधे और सच्चे आदमी को भी झूठ बोलना सिखा देती है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि किसी छोटी वस्तु या बात को लेकर दो लोगों में विवाद होता है और मामला अदालत पहुंचता है तो इसका निपटारा होने में 20–30 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि देश में पहले लोगों के बीच विवाद नहीं होते थे, लेकिन तब लोगों में 'स्व' का बोध था। परिवार के स्तर पर, मौहल्ला के स्तर पर, गांव के स्तर पर मामले निपट जाते थे। क्योंकि दोनों पक्ष सच बोलता था। डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि न्याय और पुलिस के सहारे कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अंतरात्मा की आवाज पर चलना ही होगा। हमें सोचना होगा कि हम कहां से चलकर कहां पहुंच रहे हैं। आज का समाज कर्तव्य आधारित नहीं, बल्कि अधिकार आधारित समाज में बदल चुका है। आज बेटे बाप से अपना अधिकार मांग रहे हैं। छोटे–छोटे स्कूली बच्चें अपने गुरूओं के खिलाफ पुलिस

में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। बच्चों के भीतर नैतिकता, जीवन मूल्य, कर्तव्य बोध ा भरने जैसी बात स्कूलों में अब ना के बराबर है। उन्होंने सवाल किया कि आज शिक्षा में 'स्व' का बोध कहां है? आज की शिक्षा अर्थकरी है। शिक्षा में नैतिकता, विन्रमता, शालीनता का अभाव है। मां–बाप बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल करा रहे हैं। प्राचीनकाल में भारत दुनिया के देशों के लिए टीचर ट्रेनिंग सेंटर था। विभिन्न महाविद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने बताया कि एक बार बनारस के कोई संगीतज्ञ इटली गये थे। वहां के सरकारी आवास में ठहरे थे। उनकी देखरेख के लिए जिसे तैनात किया गया था, वह सो गया था। कारण कि संगीतज्ञ निद्रा राग बजा रहे थे। मुसोलिनी को अनिद्रा की बिमारी थी, उसने संगीतज्ञ को बुलाया, बताते है कि उनके निद्रा राग बजाने पर मुसोलिनी कुर्सी पर बैठे–बैठे ही सो गया था।

शिक्षा में मातृभाषा की अवहेलना है। आज अंग्रेजी का बोलबाला है। कोई भी दूसरी भाषा मस्तिष्क तक ही रहती है। दिल की गहराई में अपनी मातृभाषा ही उतरती है। उन्होंने कहा कि हमारे भजन, 'ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पैजनिया' अथवा 'जय हनुमान ज्ञान गुण सागर' को अंग्रेजी में कोई कैसे समझ सकता है। इस क्रम में आरएसएस नेता ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया, 'कोई प्रतिनिधि मंडल महामहिम से मिला तथा निवदेन किया कि आकाशवाणी से जो प्रतिदिन देर तक भजन कार्यक्रम आता है उसे बंद करा देना चाहिए। महामहिम ने उत्तर देते हुए कहा कि आपकी मांग जायज है पर प्रतिदिन मैं भी रेडियो पर भजन ही सुनता हूं।' डॉ. गोपाल ने कहा कि हमारी शिक्षा में एकात्म बोध था। बनारस में 500 साल पुराने पत्थर के मकानों में भी लोग ऊंचाई पर छेद बनाकर रखते थे ताकि हिसंक जानवरों से बचते हुए पक्षी उनमें निवास कर सके।

उन्होंने बताया कि देश की शिक्षा में अंग्रेजी का बोलबाला है, पर अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या 3 लाख से कम है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में 'स्व' और एकात्म बोध के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के कामों की सराहना करते हुए मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन के योगदान की भूरिभूरि प्रशंसा की।

कार्यक्रम के आरंभ में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम ने प्रस्ताविकी रखते हुए मंच के उद्देश्यों, उपलब्धियों तथा भविष्य के लक्ष्यों की चर्चा की। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के सूत्र को जोड़ा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के बदौलत हमारा आयात 36 प्रतिशत से घटकर आज 14 प्रतिशत पर आ चुका है। इस क्रम में डॉ. नागेश ने राष्ट्रहित की दृष्टि से आत्मनिर्भरता की नीति को प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वावलंबी अभियान के जरिये भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। डॉ. राजकुमार मित्तल ने देश के आर्थिक विकास में स्वदेशी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों की सराहना की।

अंत में कार्यक्रम का समाहार करते हुए राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने स्वदेशी संगम के मौके पर 'स्वदेशीः कल, आज और कल' के बारे में वक्ताओं के विचारों को प्रेरक बताया। मंच के कार्यों में डॉ. अश्वनी महाजन के योगदान को रेखांकित किया। वहीं चुटीले अंदाज में यह भी कहा कि वे अब तक हर सभा में अश्वनी जी को सुनते आये हैं, यह पहला मौका है जब हम सब लोग उनके बारे में बोल रहे हैं। श्री कश्मीरी लाल ने इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट किया तथा स्वदेशी और स्वावलंबी भारत अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया।

डॉ. अश्वनी महाजन के सेवानिवृत्त होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से स्वदेशी के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन सीए अनिल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी, रमेश विधूड़ी तथा वर्तमान सांसद बांसुरी स्वराज ने हिस्सा लिया। ❑❑

स्वदेशी जागरण मंच ने क्यों उठाई रॉबोट टैक्स की मांग?

दुनिया लगातार विकास के पंख लगाकर उड़ रही है लेकिन इसके साथ ही मानव जगत के लिए तमाम संकट भी सामने आ रहे हैं। अब अगर रोबोट की बात करें तो दिन पर दिन कंपनियां इसका इस्तेमाल बढ़ाती जा रही हैं, जिससे लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।

अमेरिकी बिजनेसमैन और माइक्रोसॉफ्ट के को–फाउंडर बिल गेट्स ने सात साल पहले एक बयान में कहा था कि जो रोबोट इंसानों की नौकरियां छीन रहे हैं, उन्हें टैक्स देना चाहिए। सरकारों को रोबोट (ए.आई.–आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित आधुनिक तकनीकि) के उपयोग के लिए कंपनियों पर टैक्स लगाना चाहिए, ताकि अन्य तरह के रोजगार के लिए धन जुटाया जा सके। फिलहाल इसको लेकर अब भारत में भी मांग उठने लगी है। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार के सामने मांग रखी है कि जो कंपनियां रोबोट का इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे टैक्स वसूला जाए। ताकि एआई के जरिए जिन लोगों की नौकरी खतरे में पड़ रही है, उनको फिर से स्किल सिखाने के लिए आर्थिक मदद मिल सके।

पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से सम्बंधित चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श बैठक की थी। इस मौके पर मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन भी उपस्थित रहे थे और उन्होंने कहा था कि एआई की मानवीय लागत से निपटने के लिए आर्थिक उपायों की आवश्यकता है। हम एआई समेत अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह एक फैक्ट है कि इससे कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बीच रोजगार का नुकसान होगा और 'रोबोट टैक्स' का उपयोग एक फंड बनाने के लिए किया जा सकता है जो इन श्रमिकों का कौशल बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने में मदद करेगा।

संसद के बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सरकार के सामने कई सुझाव रखे गए हैं जिसमें 'रोबोट टैक्स' को भी शामिल करने की मांग की गई है। डॉ. अश्वनी महाजन का कहना है कि जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपना रही हैं और उसके कारण कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है, ऐसी कंपनियों से सरकार को रोबोट टैक्स वसूलना चाहिए और नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को मदद पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होने ये भी मुद्दा उठाया कि ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बता दें कि लोगों के जॉब मार्केट से बाहर होने और उनकी जगह रोबोट द्वारा लिए जाने का सवाल चिंता का विषय बनता जा रहा है। मंच ने एआई को लेकर कहा है कि ये अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। मालूम हो कि पिछले साल ही पीएम मोदी लोगों को एआई के संबंध में गलत सूचना और फर्जी खबरों के खतरों के बारे में आगाह कर चुके हैं. इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भी रोबोट टैक्स पर सहमति जता चुका है। आईएमएफ का कहना है कि एआई की वजह से लोगों की नौकरी पर फर्क पड़ेगा। इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी तर्क दिया है कि एआई को लेकर सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और मजबूत सामाजिक ताने–बाने की जरूरत होगी।

ज्ञात हो कि राष्ट्रपति मून के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया ने 6 अगस्त 2017 को पहला रोबोट टैक्स पारित किया गया था। इसके मुताबिक संस्थाओं पर सीधे टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि यह कानून उन टैक्स छूटों को कम करता है जो पहले रोबोटिक्स में निवेश के लिए दी जाती थीं। रोबोट टैक्स पहले मैडी डेलवॉक्स के बिल का हिस्सा था, जो यूरोपीय रोपीय संघ में रोबोट के लिए नैतिक मानकों को लागू करता था. हालांकि, यूरोपीय संसद ने कानून पर मतदान करते समय इस पहलू को खारिज कर दिया था.

रोबोट टैक्स के जरिए ये योजना बनाई जा रही है कि जो कार्य मशीनों द्वारा कराए जा रहे हैं, उसे कम करके श्रमिकों द्वारा कार्य कराया जाए। इसके साथ ही इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना भी है जो इन एआई या रोबोट की वजह से अपनी नौकरी खो चुके हैं. इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 47 प्रतिशत वर्कफोस ऑटोमेटेबल है। तो वहीं एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि 21 ओईसीडी देशों में यह आंकड़ा 9 प्रतिशत है।

हालांकि रोबोट तैनात करने के लिए कंपनियों पर टैक्स लगाने का जो मुद्दा लगातार सामने आ रहा है, उसको लेकर विवाद भी खड़े हो गए हैं। एक वर्ग का कहना है कि अगर इस तरह के उपाय किए जाएंगे तो इससे इनोवेशन हतोत्साहित

होगा और आर्थिक विकास में बाधा पहुंचेगी। वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो रोबोट टैक्स लगाने का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर काम करता है। गौरतलब है कि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) के सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ (बीकेएस), ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), लघु उद्योग भारती (जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए काम करता है), स्वदेशी जागरण मंच ने बजट को लेकर और भी कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं।

चुनावी अभियान के दौरान बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रहा। ऐसे में उद्योगों को ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII में जोड़कर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर निधि) के जरिए फंडिंग के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। खाद्य मुद्रास्फीति के संबंध में छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिन्हें वे अपनी जमीन पर शुरू कर सकें और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकें।

सभी के लिए आवास विषय पर स्वदेशी जागरण मंच ने सुझाव दिया कि खाली जमीन रखने वालों पर संपत्ति टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की जरूरतों के बहाने अनावश्यक भूमि रखने वालों की संख्या कम हो।

https://bharatexpress.com/india/robot-tax-after-all-why-has-swadeshi-jagran-manch-raised-this-big-demand-325472

उद्यमिता से ही भारत बनेगा विकसित राष्ट्रः आर. सुन्दरम

स्वदेशी जागरण मंच की तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट के परिसर में हुई। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग उद्यमिता ही है। स्वावलंबी भारत अभियान का उद्देश्य भारत को नौकरी मांगने वालों के देश से नौकरी देने वाला बनाना है।

उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम ने कहा कि लोगों को स्वदेशी की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन समय की मांग है। बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश के युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की जरूरत है। भारत का युवा अगर धैर्य व साहस के साथ तय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है।

उन्होंने दत्तोपंत ठेगडी के सिद्धांतों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि 'ठेंगड़ी जी कहा करते थे कि स्वदेशी खरीदो और स्थानीय खरीदो, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार की आवश्यकता है।' वे मानते थे, जब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, देश का चहुंमुखी विकास नहीं होगा। साथ ही पर्यावरण अच्छा बने, संस्कारित परिवारों का निर्माण हो और आयुर्वेद को लेकर जीवन भर सक्रिय रहे।

श्री आर.सुन्दरम ने रोजगार सृजन केंद्रों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ी संख्या में जिला रोजगार सृजन केंद्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को उद्यम स्थापित करने में सहायता मिल रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग उद्यमिता ही है। स्वावलंबी भारत अभियान का उद्देश्य भारत को नौकरी मांगने वालों के देश से नौकरी देने वाला बनाना है।

मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े देश के करीब 300 प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री भागैय्या जी भी उपस्थित हैं।

उदघाटन सत्र की अध्यक्षता एसआर इंस्टीयूस्टीयूट के निदेशक व भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य श्री पवन सिंह चौहान ने की। उदघाटन के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल और सह संगठक श्री सतीश कुमार समेत देश भर के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/6/28/The-meeting-of-Swadeshi-Jagran-Manch-was-inaugurated.php

अन्नदा महाविद्यालय में स्वदेशी संगोष्ठी का आयोजन

अन्नदा कॉलेज में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसका विषय स्वावलंबन के क्षेत्र में भारत के युवकों की भूमिका था। संगोष्ठी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के पूर्वडीजीपी महेंद्र मोदी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल एवं मुख्य वक्ता मंच के राष्ट्रीय सह–संगठक श्री सतीश कुमार मौजूद थे। मौके पर मंच के क्षेत्रीय समन्वयक अजय कुमार उपाध्याय द्वारा रचित पुस्तक वैश्विक बाजार की शक्तियां का विमोचन किया गया।

मुख्य वक्ता श्री कश्मीरी लाल ने रोचक तरीके से कॉलेज के विद्यार्थियों को बताया कि आज के दौर में पूरे भारत वर्ष में सभी सेक्टर को मिलाकर लगभग तीन करोड़ नौकरियां ही हैं। जबकि नौकरी पाने वाले युवकों की संख्या

इससे लगभग दस गुनी है। इसका मतलब सौ में से सिर्फ दस युवक को ही सिर्फ नौकरी प्राप्त हो सकता है। बाकी बचे नब्बे प्रतिशत युवाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वरोजगार के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उन्हें हर हाल में स्वाबलंबी बनना पड़ेगा। उन्हें जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वाबलंबी बनने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कार्यक्रम का संचालन मंच के जिला संयोजक सूरज कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला समन्वयक डॉ चेतलाल प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में दो उद्यमी गिरिजा सतीश, अध्यक्ष सह संस्थापक सदस्य, नव भारत जागृतिगृ केंद्र एवं शपवन कुमार गर्ग, राधागोपाल इस्पात, बरही को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक अमरेंद्र कुमार सिंह, झारखंड राज्य के सह संयोजक ज्ञानदेव टुडू , धनबाद गिरिडीह के विभाग संयोजक परमेश्वर मोदी, पूर्णकालिक हिमांशु द्विवेदी, विशाल ने मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम को सफ़ल बनाने में कार्यालय के प्राचार्य डॉ नीलमणि मुखर्जी मुखर्जी एवं बीबीए विभाग के इंचार्ज अमित सिन्हा के अलावा व्यवसाय पूर्व जिला संयोजक प्रकाश गुप्ता, किसान मोर्चा से इंद्र नारायण कुशवाहा, समाज सेवी सीताराम साव, मनोज कुमार, जयप्रकाश, मिशन डिफेंस एकेडमी के निदेशक राजेश प्रजापति, पवन मोदी, ब्रजेश, रंजन आदि ने योगदान दिया।

https://www.livehindustan.com/jharkhand/hazaribagh/story--10433104.html

'भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या बोझ नहीं': स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच की तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 'जनसंख्या और अर्थव्यवस्था' विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया। मंच का मानना है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या बोझ नहीं है, बल्कि वह हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है, बशर्ते 37 करोड़ युवा शक्ति को उद्यमिता की ओर जोड़ा जा सके।

उल्लेखनीय है कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद बैठक शुक्रवार से लखनऊ में शुरू हुई। एस.आर.ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन बीकेटी में शुरू हुई राष्ट्रीय परिषद बैठक में भारत के सभी राज्यों से स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रांत, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता तीन दिन तक विभिन्न विषयों पर चिंतन मंथन करेंगे। राष्ट्रीय परिषद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंच के अखिल भारतीय संयोजक मदुरई तमिलनाडु के श्री आर सुंदरम ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से संचालित गतिविधियों का वर्ष भर का लेखा–जोखा लिया तथा स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से देश भर में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के लिए किए जा रहे जन जागरण अभियान की समीक्षा भी की।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए एसआर इंस्टीट्यूट के निर्देशक श्री पवन सिंह चौहान ने कहा कि देश की समृद्धि स्वदेशी से ही संभव है, यदि हम विदेशी और आयातित वस्तुओं पर निर्भर रहे तो हमारे उद्यम समाप्त हो जाएंगे और हम केवल विदेशी कंपनियों के ट्रेडर्स बनकर रह जाएंगे।

स्वदेशी जागरण मंच इस राष्ट्रीय परिषद बैठक में 'उद्यमिता के जैविक पथ' विषय से देश को जैविक उद्यमिता के रूप में नई संकल्पना पर विचार कर रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ. धर्मेंद्र दुबे ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय परिषद बैठक में 45 प्रांतों के 300 से अधिक पदाधिकारी भाग ले रहे हैं।

इस बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के अलावा लघु उद्योग भारती, अक्षय कृषि परिवार, वनवासी कल्याण आश्रम, सहकार भारती, सेवा भारती, गायत्री परिवार, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय प्रमुख गोपाल जी सहित प्रमुख पदाधिकारी भी इस चिंतन मंथन में सक्रियता से भाग ले रहे हैं।

राष्ट्रीय परिषद के प्रथम दिवस 'वैश्विक बाजार की शक्तियां चुनौती प्रभाव एवं परिवर्तन' विषय पर पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। स्वदेशी मेला, स्वदेशी शोध संस्थान, स्वदेशी प्रवाह, स्वदेशी मीडिया, पंच परिवर्तन, मायएसबीए पर भी चर्चा हुई। वर्ष 2047 के लिए समृद्ध एवं महान भारत कैसे बने इस हेतु विस्तृत रोड मैप आगामी कार्य योजनाओं का इस परिषद बैठक में निर्धारित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिषद बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, राष्ट्रीय सह संगठक श्री सतीश कुमार, कोलकाता से अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. धनपत राम अग्रवाल, नागपुर से श्री अजय पत्की, दिल्ली से श्री राजकुमार मित्तल, सवाई माधोपुर से श्रीमति अर्चना मीणा, भोपाल से श्री जितेंद्र गुप्त, कर्नाटक से डॉ. एस. लिंगामूर्ति, तमिलनाडु से श्री सत्यनारायण, त्रिपुरा से डॉ. दीपक शर्मा, गुवाहाटी से श्री अन्नदाता शंकर पाणिग्रही, जोधपुर से डॉ. रंजीत सिंह, बाड़मेर से किसान नेता श्री भागीरथ चौधरी, राजकोट से श्री रमेश दवे, मुंबई से श्री प्रशांत देशपांडे, मेरठ से डॉ. राजीव कुमार, लखनऊ से श्री अनुपम श्रीवास्तव एवं आईआईडी के निदेशक श्री मुकेश शुक्ला सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के प्रमुख शिक्षाविद एवं अर्थशास्त्री भाग ले रहे हैं। ❑❑

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/6/28/India-s-growing-population-is-not-a-burden.php

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांतीय विचार वर्ग

सचित्र झलक

दिल्ली

कोंकण प्रांत

मेरठ

हिमाचल प्रदेश

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जुलाई 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रीय परिषद् बैठक

लखनऊ, उ.प्र. (28-30 जून, 2024)

सचित्र झलक

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती